



ANNUAL REPORT

2014-15



H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

HIM PARIVESH, PHASE-III, NEW SHIMLA

Website : www.hppcb.nic.in

CONTENTS

S. NO.	TITLE	PAGES
1.	INTRODUCTION	1 - 3
2.	CONSTITUTION OF STATE BOARD	4
3.	MEETINGS OF THE BOARD	5
4.	STATUS OF AMBIENT AIR, RIVER WATER QUALITY & VEHICULAR POLLUTION IN HIMACHAL PRADESH	6 - 19
5.	POLLUTION CONTROL, SURVEILLANCE & MONITORING	20 - 29
6.	LITIGATION RELATED TO ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ACHIEVEMENTS	30 - 31
7.	FINANCE AND ACCOUNT OF THE STATE BOARD FOR THE YEAR 2014-15	32
8.	ANY OTHER IMPORTANT MATTER DEALT WITH BY THE STATE BOARD	33-39
9.	ANNEXURE-1	40

CHAPTER -1

INTRODUCTION

The Himachal Pradesh State Pollution Control Board was constituted in the year 1974 under the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Subsequently the implementation of the provision contained in Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environmental Protection Act, 1986 in addition to Rules framed under these Acts were also entrusted to the State Board. The prime objective of all these Acts is maintaining, restoring and preserving the wholesomeness of quality of environment and prevention of hazards to human beings and terrestrial flora and fauna.

Himachal Pradesh State Pollution Control Board is a nodal agency in the administrative structure of the State Government for planning, coordination, prevention & control of pollution and so also protection of environment in the framework of environmental regulations. The State Board has always endeavoured to strike a rational balance between economic growth and environmental preservation. In the pursuit of attaining the objectives enshrined in the environmental legislations the State Board has followed the principles of sustainable development. Continuous efforts are being made by the board to expand its activities to fulfill the demands of emerging environmental concerns, challenges and new statutes.

The following legislative measures are significant and worth mentioning here vis-à-vis the functions and duties of the State Board.

- **Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974:** The Parliament in the 25th year of the Republic promulgated this legislation in pursuance to Clause-1 of Article 252 of the Constitution of India, with the objective of prevention and control of water pollution and maintenance and restoration of wholesomeness of water. The H.P. State Pollution Control Board was constituted in 1974 under the provisions of this Act.
- **Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977:** This Act provides for levy of cess on the water consumed for specific purposes with a view to dissuade wasteful and indiscreet use of water.
- **Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981:** On the analogy of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 the Union Government promulgated another identical legislation which was exclusively meant to deal with the problems of air quality and preservation and maintenance thereof.
- **Environment (Protection) Act, 1986:** In order to provide the existing legislation for control of water and air pollution more effectively and to remove the deficiency of these legislations, the Union Government enacted umbrella legislation in 37th Year of Republic. The prime objective of the

legislation was to plug the existing statutory gaps whereby tremendous responsibilities by way of functions have been entrusted to the State Board. The following prominent rules and notifications are significant in context to the role and functions of the H.P. State Pollution Control Board:

- 1) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.
- 2) The Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules, 2008.
- 3) Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganism, Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989.
- 4) Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000.
- 5) Bio-medical Wastes (Management & Handling) Rules, 1998.
- 6) Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 1999/2003.
- 7) Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules, 2000.
- 8) Ozone Depleting Substances (Regulation & Control) Rules, 2000.
- 9) Batteries (Management & Handling) Rules, 2000.

1.1 OTHER AREAS/ACTS/RULES CONCERNING GENERAL PUBLIC:

The following Rules, which have bearing on, the state of the environment and health of the society are also in existence/enactments. Under these Rules, the H.P. State Pollution Control Board is not the only agency responsible for the implementation of these Rules but nevertheless these Rules and enactments are of great significance. They are as under:

- Public Liability Insurance Act, 1991.
- H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995.
- Motor Vehicle Act, 1988.

1.2 MANDATE OF THE STATE BOARD:

The mandate of the State Board has increased manifold since its constitution. The State Board has adopted a major shift in its policy from purely regulatory set-up to an interactive scientific organization by performing various functions under the domain of pollution control.

- Plan a comprehensive program for prevention, control or abatement of pollution of air, streams, rivers and wells in the state and to secure the execution thereof.
- Advise the state government on any matter concerning the prevention, control or abatement of water and air pollution.
- Collect and disseminate information related to water and air pollution and prevention, control or abatement thereof.
- Lay down or modify standards for quality of air, sewage and trade effluents.

- Inspect any pollution control equipment, sewage or trade effluents, works and plants and takes steps for the prevention.
- Provide technical assistance and guidance in problems related to water and air pollution and control thereof.
- To implement the provision of Environmental Impact Assessment (EIA) notification, 2006 for specified categories of development project listed in its schedule.
- Delimitation of pollution control areas.
- Creating mass-awareness and training programs relating to prevention, control or abatement of environmental pollution.
- Encourage, conduct and participate in investigation and research relating to problems of water & air pollution and prevention, control or abatement.
- To perform such other functions as may be prescribed or as may, from time to time; be entrusted by the Central Board or the State Government.
- Advise the State Government with respect to the location of any industry the carrying of which is likely to pollute stream or well or cause air pollution.
- To make, vary or revoke any order: –
 - i) For the prevention, control or abatement of discharge of waste into the stream or wells.
 - ii) Requiring any person concerned to construct new systems for the disposal of sewage and trade effluents or to modify, alter or extend any such existing system or to adopt such remedial measures as are necessary to prevent, control or abate water pollution etc.
 - iii) To integrate environmental aspects into development planning /activity through spatial environmental planning.
 - iv) To perform such other functions as may be prescribed by the State/Central Governments from time to time.

1.3 ADMINISTRATIVE STRUCTURE:

The Himachal Pradesh State Pollution Control Board as per the provisions of Water Act, 1974 is headed by the Chairman. The executive head of the State Board is Member Secretary. The State Board has ten Regional Offices at Shimla, Parwanoo, Paonta Sahib, Baddi, Una, Rampur, Jassur, Chamba, Kullu and Bilaspur and one Sub Regional Offices located at Kala Amb to perform regulatory functions for prevention and control of pollution as prescribed under various environmental legislations. The State Board has one Central Laboratory located at Parwanoo and there Regional Laboratories at Paonta Sahib, Jassur and Sunder Nagar for providing scientific support to the regulatory functions. This administrative setup of the State Board caters to the diverse environmental matters in Himachal Pradesh. The Organizational Structure of the State Board is shown in *Annexure-I*.

CHAPTER - 2

CONSTITUTION OF STATE BOARD

The Government of Himachal Pradesh vide Notification No. STE-A (1)-4/2001- Loose File dated 31.12.2012 appointed Shri Kuldeep Singh Pathania as Chairman of the State Pollution Control Board and also appointed non official members for a period of three years vide Notification No. STE-A (1)-4/2001-Loose File dated 20.05.2013 & also nominated the official member of the H.P. State Pollution Control Board for a period of three years vide Notification No. STE-A (1)-4/2001 –I-L dated 03.07.2014 Following are the members of the Board:-

2.1 OFFICIAL MEMBERS:

1)	The Principal Secretary (Env. &ST) to the Govt. of H.P.	Member
2)	The Principal Secretary (Finance) to the Govt. of H.P.	Member
3)	The Principal Secretary (MPP & Power) Govt. of H.P.	Member
4)	The Principal Secretary (UD), Govt. of H.P	Member
5)	The Principal Secretary (Industries) Govt. of H.P.	Member
6)	The Managing Director (HRTC), Shimla.	Member
7)	The Chief Executive Officer (HIMURJA), Shimla	Member

2.2 NON-OFFICIAL MEMBERS:

1)	Sh. Deepak Sood, President, M.C. Rampur, Distt. Shimla	Member
2)	Sh. Munish Sharma, Vice President, M.C. Kullu, H.P	Member
3)	Sh. Shiv Kumar, Saini, Councillor, M.C. Una, Distt. Una, H.P	Member
4)	Smt. Krishna Mahajan, President, M.C. Nurpur, Distt. Kangra, H.P.	Member
5)	Sh. Ishwar Dass Choowaru, Village, Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P.	Member
6)	Sh. Arvind Gupta, Shobha House, Solan, H.P.	Member
7)	Sh. Prem Kaushal, Village & P.O. Bhot, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.	Member

CHAPTER - 3

MEETINGS OF THE BOARD

The following major decisions were taken by the State Board in its 70th & 71st meetings held on 16.06.2014 & 12.11.2014 respectively.

The decisions taken by the State Board in its 70th meeting dated 16.06.2014:

1. The proposal for re-constitution of Sub Committee on Service Matters as per instructions of the H.P. Finance Deptt. letter dated 20.01.2003 w.r.t. sanction of staff, revision of pay scales/ up gradation of Allied matters in the HPSPCB was considered and approved by the Board.
2. The Board considered and approved the proposal for regularization of ad-hoc service of Sh. Shashi Shekhar as Environmental Planner.

The decisions taken by the State Board in its 71st meeting dated 12.11.2014:

1. The Proposal for conversion of Part Time worker in to Daily Wager was approved by the BOD. However, it was decided by the BOD Members that State Govt. policy adoption matters may be taken up at the level of Chairman and Member Secretary and only brought before the BOD for perusal & information in future.

CHAPTER - 4

STATUS OF AMBIENT AIR, RIVER WATER QUALITY & VEHICULAR POLLUTION IN HIMACHAL PRADESH

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING:

The monitoring of Ambient Air Quality was started in 1986-87 under the **National Ambient Air Quality Monitoring Programme (NAMP)** with the objective to find the current status of pollution and to study the trends as a result of increasing industrialization. The general objectives of the programme are:

1. To evaluate the general air quality conditions in the cities and to provide the basis for analyzing long term trends of pollution concentrations.
2. To provide the data for subsequent development of air quality standards and pollution prevention and control programme for the cities.

The Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) is monitored with the help of Respirable Dust Sampler on the basis of three days per station per week for 24 hours at 11 Towns/Cities covering 21 nos. of locations in the State. The State Board has also started the ambient air quality monitoring at Dharamshala.

National ambient air quality standards (NAAQS) as notified in 18th November 2009 are given in *Table-I*

Sr. No.	Pollutant	Time Weighted Average	Concentration in Ambient air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (Notified by Central Govt.)	Method of Measurement
1	Sulphur Dioxide	Annual*	50 µg/m ³	20 µg/m ³	-Improved West and Gaeke
		24hours**	80 µg/m ³	80 µg/m ³	-Ultraviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide	Annual*	40 µg/m ³	30 µg/m ³	-Modified Jacob and Hochheiser (Na-Arsenite)
		24hours**	80 µg/m ³	80 µg/m ³	- Chemiluminescence
3	Particulate Matter (PM ₁₀) (size less than 10 micron)	Annual*	60 µg/m ³	60 µg/m ³	-Gravimetric
		24hours**	100 µg/m ³	100 µg/m ³	-TOEM -Beta attenuation



4	Particulate Matter (PM _{2.5}) (size less than 2.5 micron)	Annual*	40 µg/m ³	40 µg/m ³	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
		24hours**	60 µg/m ³	60 µg/m ³	
5	Ozone (O ₃)	8 hours**	100 µg/m ³	100 µg/m ³	-UV photometric -Chemiluminescence -Chemical method
6	Lead (Pb)	Annual*	0.50 µg/m ³	0.50 µg/m ³	-AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper -ED-XRF using Teflon filter
		24hours**	1.0 µg/m ³	1.0 µg/m ³	
7	Carbon Monoxide (CO)	8 hours	2.0 mg/m ³	2.0 mg/m ³	-Non Dispersive Infra Red (NDIR) Spectroscopy
		1 hour	4.0 mg/m ³	4.0 mg/m ³	
8	Ammonia (NH ₃)	Annual*	100 µg/m ³	100 µg/m ³	-Chemiluminescence -Indophenol blue method
		24hours**	400 µg/m ³	400 µg/m ³	
9	Benzene (C ₆ H ₆)	Annual*	5.0 µg/m ³	5.0 µg/m ³	-Gas Chromatography based continuous analyzer -Adsorption and desorption followed By GC analysis
10	Benzo(a) Pyrene (BaP)- Particulate phase only	Annual*	1.0 ng/m ³	1.0 ng/m ³	-Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic (As)	Annual*	6.0 ng/m ³	6.0 ng/m ³	-AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni)	Annual*	20.0 ng/m ³	20.0 ng/m ³	-AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

* Annual arithmetic mean of minimum of 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.

** 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be compiled with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

(A) AMBIENT AIR QUALITY STATUS IN HIMACHAL PRADESH

Ambient air quality is being monitored in 11 towns/cities at Shimla, Parwanoo, Jassur, Paonta Sahib, Kala Amb, Baddi, Nalagarh, Sunder Nagar, Manali, Una and Dharamshala under National Ambient Air Quality Monitoring Program. Air quality standards fixed for 24 hour average is 100 µg/m³ for RSPM and 80 µg/m³ for SO₂ & NO₂ and annual average standard is 60 µg/m³ for RSPM, 50 µg/m³ for SO₂ & 40 µg/m³ for NO₂. The data collected of all the stations for the year 2014-15 scrutinized for the annual average and peak values for 21 locations and trends of annual average of SO₂, NO₂ and RSPM are shown below:



CONCLUSION:

Annual average values of SO₂ and NO_x at all the NAMP stations were observed well below the permissible limit for the annual average. The peak value of SO₂ was observed as high as 20.8 µg/m³ at H.B Baddi NAMP station and peak value of NO_x was observed 108.8 µg/m³ at Nalagarh NAMP Station.

The annual average values of RSPM at both the NAMP stations at Shimla, Sector IV Parwanoo, Manali and Dharamshala were observed well below the permissible limits for the annual average. While for other stations at Sector-I Parwanoo, DIC Baddi, AHC Barotiwala, MC Nalagarh, H.B. Baddi, Damtal-I, Damtal-II, Paonta Sahib, Gondpur, Kala Amb, Trilokpur, Una, Mehatpur, Both the stations at Sunder Nagar was observed above the permissible limit for the annual average.

At the NAMP stations at Sector I Parwanoo, Sector IV Parwanoo, DIC Baddi, AHC Barotiwala, MC Nalagarh, HB Baddi, Kala Amb, RO Una, DIC Mehatpur and Hadimba Road Manali in comparison to previous year's data, there is decrease in the level of RSPM has been observed, however at NAMP stations Shimla, Damtal, Paonta Sahib, Gondpur, Trilokpur, Sunder Nagar and Nehru Park Manali increase in the level of RSPM has been observed in comparison to previous year's data.

Table-I

Stations	SO ₂ Annual Average	NO _x Annual Average
Shimla I	2.0	9.9
Shimla II	2.0	13.2
Parwanoo I	2.0	12.3
Parwanoo II	2.0	13.0
DIC Baddi	2.0	24.3
AHC Barotiwala	2.0	20.0
H B Baddi	2.0	21.9
MC Nalagarh	2.0	22.4
Damtal I	2.0	10.4
Damtal II	2.0	15.8
Paonta Sahib	2.7	13.7
Gondpur	3.5	14.5
Kala Amb	3.5	13.0
Trilokpur	2.7	13.3
RO Una	2.0	5.3

DIC Mehatpur	2.1	5.6
SNR-I	2.1	10.3
SNR-II	2.1	14.0
Manali-I	2.3	13.9
Manali-II	2.1	8.4
Dharamshala	2.0	10.8

Table-II

Stations	RSPM Annual Average
Shimla I	46.1
Shimla II	56.8
Parwanoo I	56.8
Parwanoo II	69.0
DIC Baddi	118.5
AHC Barotiwala	102.7
H B Baddi	72.2
MC Nalagarh	99.3
Damtal I	66.4
Damtal II	145.5
Paonta Sahib	100.8
Gondpur	141.6
Kala Amb	141.3
Trilokpur	79.6
RO Una	69.6
DIC Mehatpur	79.0
SNR-I	79.5
SNR-II	93.9
Manali-I	53.1
Manali-II	31.4
Dharamshala	31.2

STATUS OF RIVER WATER QUALITY:

Assessment of the status of water quality of the natural water bodies is one of the most important activities of the Pollution Control Board. Water quality data not only help to ascertain the nature and extent of the requirement for pollution control measures but also indicates its impact on water quality. The Central Pollution Control Board under the National Programme Monitoring of National Aquatic Resources (MINARS) is sponsoring the water quality monitoring of major rivers of the State. The monitoring has been carried out on monthly basis. In all 235 points have been selected on major rivers Satluj, Beas, Ravi, Yamuna, Parvati, Sirsa, Markanda & Sukhna and their tributaries in the State.

The Samples are being analyzed for physico-chemical and bacteriological contents. The results are shown below;

TABLE B: PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA		
Designated Best Use	Class of Water	Criteria
Drinking water source without conventional treatment but after disinfection.	A	1. Total Coliform organism MPN/100ml. shall be 50 or less. 2. pH between 6.5 and 8.5. 3. Dissolved Oxygen 6 mg/l or more. 4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 2 mg/l or less.
Outdoor bathing (Organized)	B	1. Total Coliform organism MPN/100ml. shall be 500 or less. 2. pH between 6.5 and 8.5. 3. Dissolved Oxygen 5 mg/l or more. 4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3 mg/l or less.
Drinking Water Source after conventional treatment and disinfection	C	1. Total Coliform organism MPN/100ml. shall be 5000 or less. 2. pH between 6 and 9. 3. Dissolved Oxygen 4 mg/l or more. 4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3 mg/l or less.
Propagation of Wild Life & Fisheries	D	1. pH between 6.5 and 8.5. 2. Dissolved Oxygen 4 mg/l or more. 3. Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less.
Irrigation, Industrial Cooling Controlled Waste Disposal	E	1. pH between 6.5 and 8.5. 2. Electrical Conductivity at 25°C micro mhos /cm max. 2250. 3. Sodium absorption ratio Max. 26. 4. Boron Max 2 mg/l.

If three parameters falls in category 'A' but fourth parameter falls in category C. The overall quality of river will fall under Class 'C'.

Following conclusion were drawn from the above studies:

In case of major rivers on the basis of Primary Water Quality Criteria, it can be concluded that water quality of rivers fall under 'A' category of water with respect to pH, DO and BOD in general. The critical parameters observed is Total

Coliform according to which category of river comes down to either category 'B' if the Total Coliform are more than 50 MPN/ 100 ml or category 'C' if the Total Coliform are more than 500 MPN/100ml.

A: WATER QUALITY OF MAJOR RIVERS IN HIMACHAL PARDESH MONITORED UNDER MINARS PROGRAMME DURING 2014-15

Results of Major Rivers (MINARS) Points from April 2014 to March 2015:

Name of location	Parameters	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15
River Pabbar U/s Dhambari	pH	7.68	7.09	7.06	--	6.16	7.55	6.57	7.71	6.77	6.80	6.20	7.06
	D.O. mg/l	8.9	9.0	9.0	--	9.8	9.3	9.0	9.0	9.8	9.8	9.7	9.5
	BOD mg/l	0.2	0.6	0.4	--	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
	TC	<2	3	14	--	2	16	<2	<2	<2	<2	<2	<2
River Pabbar U/s Rohru	pH	6.82	7.12	7.11	6.82	6.22	7.28	6.76	7.22	6.61	6.90	6.74	7.11
	D.O. mg/l	9.0	9.5	8.8	9.5	9.5	9.5	9.1	9.5	9.0	9.4	9.5	9.3
	BOD mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	0.4	0.1	0.7	0.5	0.4
	TC	3	<2	10	2	2	21	<2	<2	<2	<2	10	2
River Pabbar at Snail D/s of TRT of Swara Kuddu	pH	7.29	7.25	7.69	7.21	6.06	6.10	7.03	7.11	6.97	7.10	6.80	7.04
	D.O. mg/l	9.2	8.9	9.9	8.3	8.9	9.2	8.8	9.0	8.6	9.0	8.8	8.8
	BOD mg/l	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.4	0.7	0.7	1.0
	TC	<2	12	12	8	<2	10	<2	<2	2	<2	<2	<2
River Tons at H.P. Boundary	pH	6.88	7.01	7.41	7.88	6.12	7.49	7.52	7.05	6.87	6.88	6.94	7.01
	D.O. mg/l	9.2	9.0	9.5	8.4	8.9	9.1	8.9	8.9	8.4	9.0	8.9	8.7
	BOD mg/l	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.8	0.4	0.2	0.1	0.8	0.2	0.5
	TC	<2	<2	12	15	5	18	<2	4	5	<2	<2	<2
Ashwani khad U/s Yashwant Nagar	pH	7.93	7.88	7.81	6.71	7.30	7.83	7.13	7.37	7.69	7.92	7.34	8.04
	D.O. mg/l	8.1	10.4	7.2	7.7	7.2	8.1	7.2	6.1	8.2	8.7	8.7	8.5
	BOD mg/l	1.2	0.3	0.8	0.8	0.8	0.2	0.1	1.2	0.1	0.8	0.8	1.3
	TC	12	18	12	28	14	28	16	16	6	10	<2	9
Giri river D/s Yashwant Nagar	pH	7.02	7.89	7.84	6.82	7.53	7.64	7.32	7.20	7.28	7.71	7.56	7.94
	D.O. mg/l	7.2	8.7	7.5	8.1	7.4	7.9	7.8	6.2	8.4	7.8	9.0	8.9
	BOD mg/l	2.0	0.2	1.1	0.4	1.0	0.4	0.2	0.8	0.1	0.5	0.6	0.6
	TC	14	32	6	22	12	36	8	20	4	8	8	11
River Sukhna at Parwanoo	pH	6.87	7.17	7.72	6.80	6.64	7.80	6.80	7.29	7.26	7.41	7.21	7.27
	D.O. mg/l	0.0	5.6	2.4	5.8	4.6	4.3	6.0	2.4	4.3	6.7	3.6	2.6
	BOD mg/l	3.8	3.2	4.0	4.0	8.0	4.4	195.0	5.2	14.0	14.0	12.0	0.7
	TC	82	160	460	71	240	344	260	280	142	112	164	212
Lift Nala D/s MSW Processing Site, Shimla	pH	6.69	7.31	7.88	7.02	5.92	7.04	7.10	7.81	6.88	7.30	6.74	7.21
	D.O. mg/l	4.7	3.5	3.1	4.3	4.0	4.2	4.3	4.5	4.2	7.6	6.8	6.1
	BOD mg/l	12.0	4.4	7.6	1.8	2.0	12.0	4.0	0.8	3.8	3.2	2.4	2.8

	TC	74	44	124	77	68	168	28	42	56	14	10	32
River Sirsa U/s Sitomajri Nallah	pH	7.21	7.78	7.21	7.52	6.29	--	6.94	7.69	--	7.58	6.82	7.37
	D.O. mg/l	7.8	7.3	7.2	7.8	6.5	--	7.9	4.9	--	7.9	--	--
	BOD mg/l	0.5	1.8	1.6	0.5	1.4	--	1.2	0.8	--	1.2	1.2	1.8
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Sirsa D/s Nalagarh Bridge	pH	7.86	7.77	7.69	7.49	6.66	--	7.37	8.42	--	7.56	7.10	7.28
	D.O. mg/l	5.6	6.3	6.2	5.6	6.9	--	5.7	5.2	--	6	--	--
	BOD mg/l	3.0	1.6	1.8	0.8	1.8	--	4.0	1.6	--	2.6	1.8	2.1
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Sirsa D/s Nalagarh Town	pH	7.89	7.79	7.06	7.43	6.77	--	7.40	8.23	--	7.79	7.06	7.13
	D.O. mg/l	8.4	6.1	5.8	8.4	6.6	--	8.5	9.7	--	7	--	--
	BOD mg/l	0.6	1.2	3.6	0.4	1.4	--	1.1	2.4	--	1.8	1.4	2.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stream/Nallah at D/S of Solan MSW Dump site	pH	7.88	7.69	7.78	6.91	7.77	7.75	7.40	7.64	7.52	7.59	7.63	7.85
	D.O. mg/l	7.5	9.8	6.8	7.9	7.8	8.2	8.1	4.8	7.8	7.5	7.7	7.2
	BOD mg/l	1.8	1.1	1.6	2.0	0.8	0.6	2.4	1.2	0.2	1.0	0.8	0.7
	TC	14	24	20	48	12	48	10	18	8	4	4	4
River Yamuna U/s Paonta Sahib	pH	7.35	6.38	8.43	6.99	7.61	7.89	7.87	7.29	7.32	7.29	7.31	8.61
	DO	7.50	7.40	7.40	6.40	7.60	7.80	8.20	7.30	8.40	7.80	8.00	7.80
	BOD	1.20	1.20	0.80	1.20	1.00	1.20	1.60	1.00	1.00	1.40	1.20	1.20
	TC	19.00	20.00	18.00	19.00	20.00	21.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	20.00
River Yamuna D/s Paonta Sahib	pH	7.45	6.64	8.82	7.73	7.91	8.07	8.12	7.39	7.34	7.62	7.06	8.68
	DO	7.40	7.30	7.30	7.20	7.50	7.50	8.00	7.20	8.20	7.50	7.80	7.60
	BOD	1.50	1.00	1.20	1.60	1.60	1.60	1.80	1.20	1.80	1.60	1.60	1.40
	TC	22.00	22.00	22.00	20.00	21.00	19.00	22.00	20.00	22.00	20.00	20.00	22.00
River Bata U/s Paonta Sahib	pH	7.41	6.24	8.92	7.86	7.92	8.06	8.10	7.34	7.20	7.47	7.59	8.70
	DO	7.00	7.20	7.20	7.80	7.70	7.90	8.00	7.80	8.30	8.00	7.60	7.70
	BOD	1.60	1.20	1.00	1.20	1.00	1.00	1.20	1.10	1.00	1.00	1.20	1.60
	TC	15.00	25.00	26.00	24.00	18.00	18.00	14.00	20.00	16.00	20.00	19.00	24.00
River Bata at D/s of Paonta	pH	7.50	6.37	8.61	8.89	7.32	8.12	8.09	7.12	7.32	7.36	7.51	7.89
	DO	6.90	7.10	7.10	7.30	7.60	7.60	7.80	7.60	8.10	7.90	7.40	7.60
	BOD	1.40	1.60	1.40	1.60	1.40	1.20	1.40	1.00	1.20	1.20	1.60	1.40
	TC	14.00	28.00	27.00	25.00	12.00	19.00	16.00	18.00	18.00	24.00	21.00	26.00
River markand at Shambhuwala	pH	7.02	6.12	8.93	7.78	8.75	8.15	8.07	8.03	7.90	7.47	7.57	7.10
	DO	8.00	7.60	7.60	7.10	7.40	8.00	8.50	7.90	8.20	8.10	8.20	7.80
	BOD	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	0.80	1.40	1.20	1.40	1.60	1.60	1.40
	TC	18.00	20.00	21.00	18.00	8.00	16.00	14.00	16.00	14.00	28.00	25.00	24.00

River Markanda U/s Kala Amb	pH	7.42	6.48	8.13	7.96	8.15	8.08	8.15	7.36	7.94	7.43	7.76	8.38
	DO	8.30	7.80	7.80	7.30	7.50	7.90	8.00	7.70	8.30	8.40	8.50	8.00
	BOD	0.80	1.40	1.20	1.20	1.00	1.20	1.20	1.40	1.60	1.60	1.40	1.20
	TC	35.00	25.00	29.00	20.00	22.00	18.00	19.00	17.00	16.00	25.00	26.00	25.00
River M'kanda D/s Kala amb/Boundary of Haryana	pH	7.58	6.60	8.98	8.72	7.12	8.32	8.21	8.12	8.10	7.51	7.66	8.46
	DO	8.20	7.60	7.60	7.10	7.30	7.70	7.90	7.50	8.10	8.30	8.20	7.90
	BOD	1.50	1.40	1.60	1.40	1.20	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60	1.40	1.40
	TC	29.00	26.00	25.00	20.00	14.00	22.00	22.00	18.00	20.00	29.00	28.00	26.00
River Giri U/s of CCI Mines	pH	7.54	6.18	8.13	7.52	7.14	8.73	8.16	7.29	7.20	7.88	7.64	8.42
	DO	7.60	8.40	8.40	7.80	7.70	8.20	8.20	8.20	8.50	8.00	8.20	8.00
	BOD	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	TC	14.00	18.00	22.00	15.00	18.00	20.00	16.00	18.00	18.00	14.00	13.00	15.00
River Giri D/s of Sataun	pH	7.39	6.35	8.85	7.75	7.32	8.74	8.25	7.12	7.30	7.10	7.69	7.92
	DO	7.40	7.80	7.80	7.70	7.60	8.30	8.10	8.00	8.30	7.90	8.00	7.90
	BOD	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.40	1.20	1.60	1.40	1.40	1.40	1.60
	TC	14.00	16.00	15.00	16.00	16.00	19.00	18.00	20.00	20.00	15.00	16.00	16.00
Renuka Lake	pH	7.52	6.40	9.12	6.92	7.96	8.23	8.31	7.36	7.39	7.23	8.01	7.12
	DO	6.60	5.90	5.90	6.70	6.60	6.50	6.00	2.80	5.20	5.90	6.10	6.20
	BOD	1.60	1.80	2.00	1.80	1.60	2.00	2.40	5.40	2.50	2.40	2.00	2.00
	TC	27.00	36.00	34.00	22.00	18.00	26.00	25.00	30.00	24.00	14.00	44.00	36.00
U/S Slapper, River Satluj	pH	8.46	7.34	8.02	8.34	8.06	8.4	7.51	8.2	7.76	8.4	8.36	8.29
	DO	9.2	9.5	8.9	9.2	9.4	9	9.6	8.9	9.5	8	9.2	9.7
	BOD	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	280	170	280	130	280	240	170	220	180	240	130	180
D/S Slapper, Satluj River after Conf. with River Beas	pH	8.54	7.65	8.14	8.08	8.4	8.09	7.56	8.11	7.7	8.6	8.1	7.85
	DO	9.4	9.6	9	9.2	9.6	9	9.5	8.7	9	8	9.2	9.8
	BOD	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	240	180	180	180	350	280	240	280	170	280	170	240
Exit of Dehar Power House, Beas River	pH	8.46	8.05	7.68	8.24	8.44	8.26	6.78	8.53	7.81	8.95	8.2	8.2
	DO	9.1	9.0	9.3	9.4	9.4	9.1	9.9	9.2	8.7	9.1	9.2	9.9
	BOD	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	110	140	110	70	170	140	130	180	130	220	110	130
D/s Bilaspur at Govind sagar	pH	8.46	8.11	8.19	8.3	8.31	7.93	8.01	8.1	7.8	8.44	8.11	7.35
	DO	9.1	9.3	8.7	9.4	9.2	8.9	9.7	8.9	9.2	8.7	9	9.6
	BOD	0.5	0.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2
	TC	350	350	540	350	540	350	350	540	280	540	350	350
U/s Mandi, Beas River)	pH	8.23	8.43	7.68	7.96	8.17	8.04	7.86	8.08	7.5	8.15	8.33	7.65

	DO	9.5	8.8	8.7	10.2	9.2	9.9	9	9.7	11.4	11.2	11.1	9.4
	BOD	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	920	280	130	130	220	180	140	170	130	140	94	110
D/s Mandi, Beas River	pH	8.08	8.47	7.38	7.63	8.08	7.98	7.97	8.1	7.42	7.54	8.26	8.73
	DO	9.4	9.1	7.8	10.5	8.4	10	9.5	9.8	12.2	11.1	8.9	9.8
	BOD	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
	TC	920	350	170	220	280	350	180	220	180	240	170	350
Rewalsar Lake	pH	8.20	7.30	7.25	7.55	7.26	7.34	6.86	8.03	7.84	7.75	8.17	7.64
	DO	5.6	3.1	2.7	6.2	2.8	2.4	5.6	7.6	5.1	6.2	3.8	4.2
	BOD	12	4	8	5.6	11	1.8	12	39.5	5.2	4	3	0.8
	TC	1600	920	1600	920	920	920	1600	≥2400	1600	920	540	540
D/s Mandi, Suketi Khudd (2607)	pH	8.56	8.06	8.37	7.62	7.94	7.84	8.29	8.07	8.15	8.46	8.59	8.18
	DO	8.5	7.0	7.4	7.6	7.3	8.4	8.4	10.1	11.2	10.6	10.2	8.8
	BOD	0.3	0.4	0.9	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
	TC	1600	540	1600	280	540	540	540	280	130	240	280	350
R.Beas, U/s Pandoh Dam	pH	8.13	7.88	7.7	7.55	7.89	8.19	7.69	8.26	7.73	8.13	8.09	7.86
	DO	9.7	9.0	8.7	10.3	9.1	9.1	9.8	10.3	9.5	11.4	10.6	8.6
	BOD	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	280	180	170	140	220	180	140	140	140	130	110	140
R.Beas, D/s Pandoh Dam	pH	8.18	7.88	7.76	7.41	7.9	8.2	7.64	8.12	7.49	8.04	8.45	7.68
	DO	9.8	8.4	8.1	9.7	7.9	9.6	10	10.2	11.2	11.3	11.2	9.2
	BOD	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	1600	280	240	170	280	240	280	170	170	180	140	170
R.Beas, D/s Aut	pH	8.15	7.79	7.7	7.91	7.95	7.99	7.65	8.17	7.51	7.89	8.23	7.82
	DO	9.0	9.1	9.9	8.8	9	8.7	8.9	8.1	11	9.3	9.3	8.9
	BOD	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	180	130	94	110	140	140	110	130	110	130	110	180
R.Sainj, D/s Largi	pH	8.1	7.82	7.78	7.85	8.23	7.85	8.16	7.74	7.14	7.53	8.23	7.81
	DO	8.9	9.4	9.8	9	9.2	8.5	8.7	7.8	10.9	9.8	8.9	8.7
	BOD	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	TC	220	170	110	94	180	170	130	180	140	140	130	170
River Parvati, U/s Manikaran	pH	8.13	7.53	8.1	8.02	8.1	7.41	8.01	8.06	7.83	7.5	8.16	8.27
	DO	9.3	9.8	9.6	9.3	9.1	9.6	9.7	9.1	10.2	9.5	9.3	9.5
	BOD	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	140	110	94	63	140	110	94	130	79	70	49	63
River Parvati, D/s Manikaran	pH	8.03	7.55	7.61	7.91	8.39	7.47	7.76	7.8	7.7	7.82	8.08	7.92
	DO	9.2	9.6	9.2	9.5	9	9.6	9.7	8.9	10.3	9.4	9.2	9.4

	BOD	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	170	130	130	79	170	130	130	140	94	130	79	110
River Beas, U/s Manali	pH	8.28	7.73	7.98	7.87	8.16	7.79	7.9	8.09	7.21	7.56	8.02	7.68
	DO	8.9	9.2	9.8	8.5	7.5	8.3	8.9	8.8	11	10.6	10	8.9
	BOD	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	130	140	140	130	240	94	110	130	94	63	63	63
River Beas, D/s Manali	pH	8.0	7.71	7.8	7.71	7.89	7.64	7.97	8.03	7.17	7.86	7.78	7.47
	DO	8.8	9.1	9.7	8.6	7.9	8.5	8.9	8.6	11	10.6	9.9	8.8
	BOD	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
	TC	220	240	350	280	350	180	180	180	140	170	79	130
River Beas, U/s Kullu	pH	8.18	8.17	7.78	7.83	8.03	7.81	7.26	7.93	8.18	8.12	7.79	8.28
	DO	9.0	9.6	9.1	8.5	7.6	8.7	9.1	8.6	11.2	8.9	9.9	9.5
	BOD	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
	TC	220	220	220	140	220	170	280	220	170	130	140	170
River Beas, D/s Kullu	pH	8.22	8.02	7.52	7.84	7.8	7.61	8.16	8.33	7.95	8.16	7.83	8.17
	DO	9.1	9.6	9.1	8.3	7.5	8.6	8.9	8.5	11.2	8.9	9.8	9.4
	BOD	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
	TC	350	350	280	240	280	280	350	350	240	180	180	180
Parvati River, before confluence to R. Beas at Bhunter	pH	7.26	7.68	7.49	7.52	8.18	6.84	7.63	8.01	7.85	7.78	8.2	7.8
	DO	9.4	9.4	9	9.1	9.4	9.5	8.3	8.6	10.2	8.3	8.5	9.1
	BOD	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	240	220	170	220	180	220	220	280	220	170	130	180
River Satluj U/s Tattapani	pH	8.46	8.08	8.2	7.6	8.44	7.82	7.43	7.79	7.76	8.58	7.88	8.31
	DO	9.2	9.2	9.3	9.5	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3
	BOD	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	TC	280	180	240	180	350	240	--	--	--	--	--	--
River Satluj U/s Rampur	pH	8.07	8.06	8.18	7.59	7.59	8.15	8.19	8.51	7.84	8.63	8.14	8.05
	DO	9.3	9.3	9.4	9.1	9.2	9.3	9.6	9.4	9.5	9.6	9.5	9.4
	BOD	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	110	280	280	170	350	350	--	--	--	--	--	--
River Satluj D/s Rampur	pH	8.33	8.15	8.25	7.7	8.2	8.02	8.09	8.07	7.49	8.52	8.09	8.15
	DO	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.2	9.6	9.3	9.4	9.6	9.4	9.4
	BOD	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	TC	540	350	350	280	540	350	--	--	--	--	--	--
Wangtu Bridge (Satluj at Nathpa Jhakri)	pH	8.65	8.26	8.2	8.07	8.64	8.05	7.87	8.08	7.61	8.07	8.08	8.17
	DO	9.6	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	9.7	9.3	9.6	9.6	9.6
	BOD	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	TC	170	170	110	140	240	170	--	--	--	--	--	--

River Baspa U/s reservoir at Kuppa	pH	8.36	8.04	8.34	8.06	7.75	7.65	8	8.1	7.68	8.25	7.94	7.84
	DO	9.4	9.4	9.3	8.6	8.5	8.9	9.8	9.6	9.7	9.3	9.6	9.7
	BOD	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TC	140	140	140	130	180	220	--	--	--	--	--	--
River Satluj before conf. with River Spiti at Khab	pH	8.66	8.09	8.21	7.76	8.6	7.98	8.35	8.14	7.91	--	8.2	8.66
	DO	9.8	9.9	9.8	9.7	9.6	9.8	10.1	9.9	10.1	--	9.8	9.8
	BOD	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.2
	TC	130	110	130	180	280	180	--	--	--	--	--	130
River Spiti before conf. with River Satluj at Khab	pH	8.72	8.11	8.15	7.18	8.75	7.73	7.79	8.37	7.85	--	8.27	8.72
	DO	9.8	9.9	9.8	9.9	9.8	9.9	10	10	10.2	--	9.9	9.8
	BOD	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1
	TC	79	70	70	94	110	63	--	--	--	--	--	79
River Satluj after conf. with River Spiti at Khab	pH	8.69	8.13	8.18	7.65	8.76	7.89	8.31	7.68	8.06	--	8.29	8.69
	DO	9.8	9.9	9.8	9.8	9.6	9.8	10.1	9.9	10.1	--	9.9	9.8
	BOD	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	--	0.1	0.2
	TC	110	130	110	170	180	79	--	--	--	--	--	110
River Ravi D/S Chamba	pH	--	7.83	7.84	7.93	8.21	6.57	8.64	8.63	8.54	7.35	8.05	8.45
	DO	--	8.9	8.8	7.9	8.8	8.5	8.6	8.6	8.8	9.1	8.7	8.6
	BOD	--	0.3	0.2	0.4	0.3	0.9	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Ravi U/S Chamba	pH	7.87	7.8	7.39	8.15	8.95	8.67	8.73	8.55	7.26	7.71	8.32	8.42
	DO	9.0	8.7	7.8	8.6	8.6	8.7	8.5	8.7	9	8.6	8.7	8.6
	BOD	0.3	0.1	0.6	0.2	0.8	0.3	0.5	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Siul D/S Surgani	pH	8.63	7.89	8.11	8.41	8.48	8.55	8.92	8.96	7.96	8.15	8.37	7.64
	DO	8.6	8.7	7.5	8.1	8.8	8.1	8.1	8.3	8.4	8.6	10	8.8
	BOD	0.8	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.7	0.5
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chamera Reservoir stage -I	pH	7.98	7.78	8.21	8.73	8.06	8.19	8.6	8.72	7.78	7.16	8.16	7.38
	DO	8.1	8.8	7.9	8.1	8.6	8.6	8.2	8.6	8.5	8.5	8.9	8.7
	BOD	0.4	0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Madhopur Head Works River Ravi	pH	7.71	7.51	7.97	8.75	8.4	8.46	8.3	8.95	7.65	8.15	8.25	8.34
	DO	7.8	7.2	7.8	7.8	7	6.9	7.2	8.7	7.9	9.2	7.8	7.9
	BOD	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	5.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Khajjar Lake	pH	7.36	6.62	7.14	7.27	8.62	7.92	7.76	7.26	7.16	6.6	7.12	6.45

	DO	7.5	6.1	6.7	7.1	7.1	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.9	6.8
	BOD	18.0	65.0	18.0	26.0	5.5	3.0	32.0	18.0	8.0	9	14	4
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pong Dam Lake at Pong Village	pH	8.40	8.86	8.58	9.25	8.95	8.38	8.38	8.34	7.9	7.74	8.24	8.35
	DO	7.8	8.2	7.9	6.8	7.5	8.9	6.8	7.3	7.5	6.7	7.1	7.4
	BOD	1.0	0.5	1.4	0.8	1.8	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	1.0	0.6
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Pong Dam R. Beas	pH	8.28	8.86	8.08	8.02	8.39	8.46	8.38	7.84	7.55	8.03	8.06	8.85
	DO	7.9	8.5	7.6	7.2	7.2	8.6	7.1	7.2	5.6	7.1	7.9	7.1
	BOD	0.5	0.2	0.5	0.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.4	0.2	0.8	0.6
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Dehra River Beas	pH	8.14	8.35	8.40	7.88	8.60	8.34	8.44	8.49	8.22	6.65	8.28	8.65
	DO	7.2	7.8	7.9	8.3	7.8	7.5	7.6	7.7	7.8	8.2	7.9	7.6
	BOD	0.5	0.3	0.5	2	0.8	0.8	0.4	0.6	1.8	1.2	0.8	1
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Jaisingpur River Beas	pH	8.65	8.45	7.64	8.57	8.84	8.45	7.57	8.39	8.5	8.85	7.42	8.84
	DO	7.9	7.2	8.2	7.4	7.2	7.5	6.8	7.9	10.5	7.9	7.3	7.4
	BOD	1.2	0.4	0.6	1.8	0.9	0.8	0.6	0.4	1.4	0.8	0.8	0.2
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Alampur River Beas	pH	9.1	8.42	7.5	8.31	8.35	8.62	8.99	8.76	7.75	8.48	7.68	8.16
	DO	8.0	7.4	8.4	7.6	7.4	7.1	6.9	8.2	10.2	8.2	7.4	7.5
	BOD	0.8	0.2	0.6	1.8	1.2	0.8	0.6	0.4	1.4	0.8	0.9	0.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Thural NeugalKhad	pH	8.01	7.82	7.84	8.54	8.54	8.92	7.6	8.54	8.59	7.72	7.7	8.4
	DO	7.5	7.2	7.8	7.7	7.9	7.2	7.2	7.3	9.7	9.1	7.9	7.9
	BOD	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.5
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D/S Binwa Baijnath Paprola	pH	7.35	7.73	8.24	6.27	8.28	8.01	8.63	8.65	7.35	8.59	7.85	7.86
	DO	9.0	6.8	7.6	6.8	7.7	7.1	7.8	7.1	9.8	9.1	8.2	7.5
	BOD	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Satluj D/s Bhakhra	pH	8.45	8.31	8.12	9.71	8.74	8.73	9.39	8.89	8.04	8.45	8.39	8.7
	DO	9.0	8.8	6.8	7.5	6.1	6.8	6.4	7.8	6	5	5	7.5
	BOD	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.7	0.4	0.3
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Swan D/s Santokhgarh	pH	7.35	8.46	7.95	9.54	9.16	8.75	8.59	8.12	7.85	7.81	8.65	8.84
	DO	6.0	6.2	5.2	6.1	5.8	5	5.8	8	5.8	5.4	5.4	6.4

	BOD	1.5	3	0.2	1.5	1.5	11.5	0.5	12	8.5	0.4	1.6	2
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
River Ravi D/S proposed dam of Chamera-III HEP	pH	7.39	7.63	8.36	8.15	8.12	8.45	8.05	8.79	7.48	8.21	8.85	8.45
	DO	9.1	8.9	8.1	8.3	8.5	8.8	8.8	8.5	8.8	8.6	8.8	8.9
	BOD	0.4	0.2	0.2	0.8	0.6	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.8
	TC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SAMPLES ANALYSIS IN THE STATE BOARD LABORATORIES:

The State board has 4 laboratories for carrying out analysis of water, waste water, solid waste, air and bio-monitoring samples collected by the Board's officers. Four small laboratories for analysis of only SO₂, NO_x & RSPM in ambient air are at Shimla, Baddi, Mandi and Una. The detail of samples analyzed by the laboratories during the year 2014-15 is as follows:

Sr. No.	Type of Samples		Number of Samples Analyzed in State Boards Laboratories			
			Parwanoo	Paonta Sahib	Jassur	Sunder Nagar
1.	Water & Waste Water	Trade Effluent	813	458	297	233
		RM/GW/ Study etc. water samples	752	265	442	826
2.	Soil/Solid Waste		10	5	7	3
3.	Air Monitoring		448	76	132	465
4.	Commercial		--	24	65	67
5.	Complaint		--	--	--	--
6.	Bio-Monitoring		--	20	--	--
7.	Noise Monitoring		--	--	--	30
8.	Ambient Air Monitoring under NAMP project		SO ₂ - 1622	SO ₂ - 2945	SO ₂ - 2129	SO ₂ - 1329
			NO _x - 1622	NO _x - 2945	NO _x - 2129	NO _x - 1329
			SPM - 816	SPM - 1532	SPM - 1078	SPM - 672
			RSPM - 816	RSPM - 1532	RSPM - 1078	RSPM - 672

Type of Samples	Number of Samples Analyzed in State Boards NAMP Laboratories			
	Shimla	Baddi	Manali	Una
Ambient Air Monitoring under NAMP project	SO ₂ - 1377	SO ₂ - 2265	SO ₂ - 1260	SO ₂ - 1122
	NO _x - 1377	NO _x - 2265	NO _x - 1260	NO _x - 1122
	SPM - 704	SPM - 1154	SPM - 659	SPM - 753
	RSPM - 704	RSPM - 1154	RSPM - 659	RSPM - 753

VEHICULAR MONITORING IN HIMACHAL PRADESH:

The State Board is carrying out vehicular monitoring camps in the State in collaboration with local administration. Therefore, in order to implement the provisions of law, effective and efficient measures are required for vehicular pollution control in the State.

CHAPTER-5

POLLUTION CONTROL, SURVEILLANCE & MONITORING

The objectives and functions of the Board are defined in under section 17 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. In order to achieve the larger objectives of the aforesaid acts and yet maintain the pace of sustainable growth, the State Board ensures that development takes place in harmony with the environment. The State Board has a field network of Regional Offices to exercise regular checks on the sources of pollution and regulation of the conditions of consent granted to the industries with the prime objective of controlling pollution at source.

5.1 CONSENT MECHANISM:

According to the provisions of the aforesaid Acts, Consent of the State Board is required by the development projects, the industrial units, tourism projects, Hydel projects, mining units and sewage treatment systems.

The consent mechanism mandates the above mentioned development projects to obtain prior consent Under provisions of sections 24 and/or 21 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and/or Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 respectively, as may be applicable to

- (a) Establish or take any steps to establish any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or an extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land (such discharge being hereafter in this section referred to as discharge of sewage); or
- (b) Bring into use any new or altered outlets for the discharge of sewage; or
- (c) Begin to make any new discharge of sewage;
- (d) Establish or operate any industrial plant in an air pollution control area

The different stages of the consent mechanism concurrent to the implementation of the projects are briefly discussed below:

Consent to Establish is granted to the industry after evaluation of the potential environmental pollution and after the examination of the engineering design and details of the systems proposed for controlling the pollution. The conditions consistent to pollution control requirements are incorporated in Consent to Establish. These conditions are reviewed in terms of their compliance and 'Consent to Establish' is converted to 'Consent to Operate' after ensuring that the engineering systems for control of water and air pollution are fully implemented. The 'Consent to Establish' is usually valid for one year which is also granted subject to the condition that the control systems shall be so operated and maintained as to ensure compliance to the standards prescribed for emissions and/or effluents as the case may be. Consent to operate initially granted for financial year and performance of the pollution control systems is regularly monitored. Actions are

taken against the non-complying cases by issuing directions for suspension of production and disconnection of power supply till the unit improves the functioning of pollution control systems to comply norms. Depending upon the performance of the pollution control systems, further renewal of consent is granted.

The achievements made during 2014-15 in discharge of regulatory functions under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 are given hereunder:

Table: 5.1

**CONSENT MANAGEMENT AT A GLANCE
(2014-15)**

S. NO.	PARTICULARS	GRANTED DURING THE YEAR 2014-15		REFUSED DURING THE YEAR 2014-15		CUMULATIVE AS ON 31.03.15	
		At HQ	At ROS	At HQ	At ROS		
1.	Consent to Establish						
	(a) Water Act, 1974	12	162	1	5	2295	
	(b) Air Act, 1981	4	47	1	1	970	
	(c) Both Acts	306	448	15	1	8148	
2.	Consent to Operate						
	(a) Water Act, 1974	10	158	1	9	2161	
	(b) Air Act, 1981	3	39	-	-	842	
	(c) Both Acts	164	318	17	3	7362	
3.	No objections to non-polluting / exempted categories of industries	0	0	-	-	1138	
4.	Renewal of Consent						
	(a) Water Act, 1974	39	313	2	-	NA	NA
	(b) Air Act, 1981	12	90	-	1	NA	NA
	(c) Both Acts	1042	1131	78	23		
5.	Consent Fees (in Rs.)	17,27,12,550.50*/-					
6.	Samples of industrial wastes, solid wastes, and stack/ dust emissions, ground and surface water other than those under MINARS and NAAQM collected during the year.	No. of Samples Collected					
		WATER/ EFFLUENTS	AIR / EMMISSIONS	SOLID WASTES	VEHICLES CHECKED		
		1756	1731	11	1505		

Table: 5.1 continued.....

7.	Surveillance and Inspections under Water & Air Acts & Hazardous Wastes (Management & Handling) Rules, 1998/2003.	Number of Industries	Actual Inspections done
		10138	12417
8.	Public complaints/representations	Received	Attended
		289	234
9.	Notices & Directions:	Issued	Implemented/Complied
	(i) Number of Notices issued.	198	198
	(ii) Number of directions issued U/S 33-A and 31 A of Water & Air Acts respectively.	83	83
10.	Number of Industries which filed Environment Audit Reports	1407	

*Provisional subject to reconciliation after Audit.

5.2 SURVEILLANCE & MONITORING:

The evaluation of operational and qualitative efficiency of the pollution control devices installed in different industries largely depends on regular surveillance and monitoring of the pollution control equipment. State Board has also taken initiative to start online real-time monitoring in the Cement Plants.

5.2.1 MONITORING OF INDUSTRIAL POLLUTION:

This activity is presently being conducted by a network of 10 Regional Offices of the Board headed by Environmental Engineers and Assistant Environmental Engineers. During the year 2014-15, the surveillance and monitoring was carried out and the salient achievements in the context are presented below:-

(i)	Number of Water Pollution Control Systems (Cumulative):	3176
(ii)	Number of Air Pollution Control System (Cumulative):	2923
(iii)	Number of Inspections conducted in 2014-15:	12417
(iv)	Number of Samples of Water, Waste Water and emission including ambient air & noise in 2014-15:	3498
(v)	Number of vehicles checked:	1505

5.2.2. MONITORING OF HYDEL PROJECTS:

State Board has continued the photo monitoring of the Hydel Projects for reviewing and making required interventions in the management of muck. State Board has also initiated the process to get the Real time on-line Continuous Flow Measurement & Data logging device installed for flow measurement to monitor the mandatory 15 % release of water the operational hydel projects. Some projects have already installed the device and the others are being directed through persuasion by the State Board.

5.3 POLLUTION PREVENTION & CONTROL:

Consequent to regular surveillance & monitoring activities, constant pressure is maintained on the polluting industries for operation and maintenance of the pollution control equipment. During the year 215 new pollution control systems were got installed in the new industries to whom consents to operate were granted during the year. In addition to the three stages conventional treatment comprising of physico-chemical and biological treatment, State Board has also taken initiative to introduce tertiary level of treatment in the industrial units particularly those in Baddi-Barotiwala area.

Improvements in the already existing control systems in respect of 246 industries were also got incorporated including those, which were ordered disconnection of power due to non-performance of the pollution control systems. In addition smooth functioning of the pollution control systems installed in the existing industries was ensured by exercising regular checks by the Regional Offices.

5.4 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT:

Although the potential environmental impacts due to any proposed developmental activity are evaluated and the environmental management plans are got formulated and implemented while processing the cases for consent to establish/operate or renewal thereof under the provisions of the Water Act, 1974 and /or Air Act, 1986, the Government of India has specifically made Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Plans (EMP) mandatory in respect of categories of projects specified in the Schedule of EIA Notification, 2006 issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India vide No.SO-1533(E) dated 14-09-2006 . Role of the State Board under this notification is to conduct the Public Hearing as part of the public consultation mechanism prescribed by the Government of India.

During the year 2014-15, the State Board granted 979 Consent to establish and 692 consent to operate including expansion under Water and Air Acts to the new units after due examination of environmental impacts and management plans under Water and Air Acts.

5.5 ENVIRONMENTAL MONITORING OF HYDEL PROJECTS:

In view of the amount of work involved in the Environmental Monitoring of Hydroelectric Projects, the State Board has been finding it increasingly difficult to conduct the proper surveillance and monitoring of Hydroelectric Projects from its own resources in terms of manpower and mobility. At the same time in view of the public concerns and the requirement of mandatory provisions of the Water Act, 1974, Air Act, 1981 and Environmental Clearance; it is essential that the periodic monitoring is conducted and regular checks are exercised on the activities of Hydel Projects which have adverse impacts from Water & Air besides muck/debris management. In this regard the State Board at the time of evaluating the EIA/EMP of the proposed projects ensures that costs in respect of monitoring of Environmental Management Plan with reference to checking of muck management, restoration plan, water and air quality monitoring are in-built in the EIA/EMP.

At present twenty six projects have been approved namely: 1. Parbati (Stage-II) Hydroelectric Project, Distt. Kullu; 2. Kol Dam Hydroelectric Project, Distt. Bilaspur; 3. Chamera (Stage-III) Hydroelectric Project, Distt. Chamba; 4. Karcham Wangtu Hydroelectric Project, Distt. Kinnaur; 5 Rampur Hydel Project, Distt. Shimla/Kullu; 6 M/s Budhil Hydroelectric Project, Chamba; 7. Sawda-Kuddu Hydroelectric Project, Distt. Shimla, 8. M/s Sorang Hydroelectric Project, Distt. Kinnaur; 9. M/s Tidong Hydroelectric Project, Kinnaur 10. M/s Uhl Stage-III Hydroelectric Project, Distt. Mandi. 11. Tangnu Romai-I HEP, Rohroo, Distt. Shimla 12. Sainj HEP, Distt. Kullu 13. Kut HEP, Rampur, Distt. Shimla. 14. Baragaon HEP, Distt. Kullu. 15. Integrated Kashang, HEP, Distt. Kinnaur and 16. Shongtong Karcham, HEP, Distt. Kinnaur. 17. Upper Nanti HEP, Distt. Shimla 18. Dhamwari Sunda HEP, Distt. Shimla. 19. Paudital Lassa HEP, Distt. Shimla. 20. Lower Nanti HEP, Distt. Shimla. 21. Sumez HEP, Distt. Shimla. 22. Jogini HEP, Distt. Shimla. 23. Roura HEP, Distt. Kinnaur. 24. Selti Musrang, Distt. Kinnaur. 25. Wanger Homte HEP, Distt. Kinnaur. 26. Chanju-I HEP, Distt. Chamba.

5.6 PUBLIC COMPLAINTS / REPRESENTATIONS:

To maintain a constant vigil on the environmental quality and impact thereof on the people the Regional Offices of the State Board are engaged not only in the activities of surveillance and monitoring of the industries, keep liaison with the people but also take prompt action for mitigation of the public grievances. During the year 2014-15, the State Board took remedial action on 234 public complaints/representations that were received during the year.

5.7 MANAGEMENT OF WATER CESS:

The Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 provides for levy and collection of Cess from the specified categories of projects based upon the water consumption. Although in Himachal Pradesh, the number of water intensive industries is far too less in comparison to the industrially developed states, the State Board has been enforcing this Act since its enactment by the Union

Government. The main achievements of the Board with respect to this legislation in 2014-15 are as under *Table 5.2*:

TABLE-5.2

Number of Assesses (Cumulative)		
1	Industrial	950
2	Local Bodies	56
3	Total	1006

No. of Assesses (Cumulative)

Category	Value
Industrial	950
Local Bodies	56

No. of Notices issued Under Water Cess Act 1977 During 2014-15		
1	Industrial/Local Bodies	410
2	Compliance Reported to Industrial/Local Bodies	209

No. of Notices issued Under Water Cess Act 1977 During 2014-15

Category	Value
Industrial/Local Bodies	410
Compliance Reported	209

Amount of Cess Assessed & Collected During 2014-15(In Rs.)		
1	Assessed	1,03,03,671/-
2	Collected	76,79,496/-*
3	Transferred to Govt. of India	72,10,453/-
4	Reimbursement Received from Govt. of India	Nil

Amount of Cess Assessed & Collected During 2014-15(In Rs.)

Category	Value
Assessed	10303671
Collected	7679496
Transferred to Govt. of India	7210453
Reimbursement Received from Govt. of India	0

* Provisional subject to reconciliation after Audit.

5.8 MANAGEMENT OF SOLID WASTE UNDER THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986:

5.8.1 BIO-MEDICAL WASTE (MANGEMENT & HANDLING) RULES, 1998:

Till 31st March 2015, the State Board has inventoried and covered 718 Health Care Facilities under Biomedical Waste (Management & Handling) 1998 Rules. During 2014-15, 340 nos of health care facilities have been granted authorization/renewal of authorization for the block year 2014-17.

5.8.2 HAZARDOUS WASTE (MANAGEMENT, HANDLING & TRANSBOUNDARY MOVEMENT) RULES, 2008.

Till the year 31st March, 2015, the Board has identified about 2773 units generating hazardous waste. Out of which 2311 are operational as on 31st March, 2015 and responsible for generating hazardous waste under Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules, 2008. All such are required to obtain authorization under the said rules. The Board has granted authorization to 2311 units. The Common Treatment, Storage, Disposal Facility (TSDF) at Village Majra, Tehsil, Nalagarh, district Solan is operational since June, 2008 and is being used for scientific disposal of landfillable hazardous waste generated by the industries. A total of 93594 MT of landfillable hazardous waste has been disposed off in TSDF by various landfillable hazardous waste generating industries in the State till date and 18161 MT of landfillable hazardous waste has been disposed off in TSDF during the year 2014-15.

5.8.3 IMPLEMENTATION STATUS OF MUNICIPAL SOLID WASTE (MANAGEMENT & HANDLING) RULES, 2000

As required under the provisions of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000, the State Board performed all its functions and ensured compliance of all the provisions entrusted to it under the said Rules. The Annual Report was prepared and forwarded to Central Pollution Control Board. As per the Annual Report, the implementation status of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules was not found satisfactory. The compliance w.r.t collection / segregation / storage / transportation by all the 56 numbers of Municipal Authorities in the State of Himachal Pradesh was found partial. Although ten number of municipal authorities (covering 12 Municipal Authorities) namely Shimla, Solan, Nahan, Kullu/Bhunter, Manali, Una, Kangra,/Nagrota, Hamirpur, Dharamshala and Chamba had installed Waste Processing Facilities but the performance of these treatment facilities was also not found satisfactory.

The State Board had apprised concerned higher authorities like Pr. Secretary (Urban Development), Director, Urban Development, and Deputy Commissioners about the status of implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000 for their intervention. Besides this, the State Board is regularly issuing directions to Urban Local Bodies to comply with the provisions of these Rules.

During the period 2014-15, the State Board received 16 numbers of applications for setting up and operation of waste processing facility/disposal facility. The State Board processed all the applications received from various municipal authorities and granted all 16 numbers of Authorizations for setting up and operation of waste processing facility and disposal facility. The Authorization status for the year 2014-15 is detailed in *Table-5.3*.

Table-5.3

Authorization Status for 2014-15	
Applied for Waste Processing and Disposal facility	Granted for Waste Processing and Disposal facility
Total-16	Total-16
MC Kullu, MC Nahan, MC Mandi Cantonment Board Jatog, NP Bhunter, NP Talai, Sarkaghat, Sundernagar, Naina Devi, Bilaspur, NP Mehatpur, NP Sunni, NP Rewalsar, MC Shimla, Municipal Council Ghumarwin, NP Jogindernagar	MC Kullu, MC Nahan, MC Mandi, NP Talai NP Bhunter, Sarkaghat, Sundernagar, Bilaspur, Naina Devi, Cantonment Board jatog, NP Sunni, NP Mehatpur, NP Rewalsar MC Shimla, Municipal Council Ghumarwin, NP Jogindernagar

The remaining municipal authorities could not obtain authorization due to non submission of Authorization.

Implementation of the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 provides for prevention & control of water pollution and maintaining or restoring wholesomeness of water thus requiring provision of pollution control measures i.e. sewerage schemes and sewage treatment plants so as to check the entry of raw sewage in to recipient water bodies. As per Section 25/26 of the aforesaid Act, it is mandatory to obtain prior Consent of the Board to discharge Sewage/trade effluent.

Provision of sewage management system is the fundamental responsibility Urban Development Department and I & PH Deptt. The State Board has only regulatory function with regard to monitoring the performance of operational STPs as well as sewage management systems. The concerned departments are required to obtain consent to establish/operate and renewal thereof prior to establishing/operating STPs/ Sewage management systems.

The State Board processed all the of cases received for Consent to Establish/ Consent to Operate/Renewal of Sewage Treatment Plants owned by I&PH Department and granted consents to 11 number of STPs i.e. STP, Una Zone-A.&B, STP, Una.Zone D, STP Gagret, STP Theog, Bilaspur, STP Nadaun, STP Sujampur, Zone-I, STP Rampur,(Khopri) Distt Shimla, STP Rampur(Choohabag), STP Dharamsala, STP Solan, Zone-B. Besides this, the consent under the provisions of Water Act had also been granted to 3 Urban Local Bodies NP Sarkaghat, MC Bilaspur, NP Bhota.

The detail of Sewage Treatment Plants in H.P. is given in Table II

Total No. of STPs /Septic tanks	68
Operational	38 STP +3 Septic tanks
With consent:	29
Without consent:	12
Under Construction	23 STP +4 septic tanks

Table II

Names of STPs in Operation		Names of STPs Under Construction	
With Consent	Without Consent	Without Consent	With Consent
Joginder Nagar	Sundernagar	Sarkaghat	Suni
Manali-	Palampur	Nagrota	Rewalsar
Lanka Bekar, Kullu-	Reckong-Peoo	Zone-I, Kangra	Zone- A&B, Una
Rohroo Stage -I-	Zone- III, Hamirpur	Zone II, Kangra	Zone-D,Una
Zone-I, Hamirpur	Shitla Bridge, Chamba	Zone III, Kangra	STP Gagret
Zone- II, Hamirpur	Barga, Chamba	Dehra	STP Theog
Jubbal	Tanda Medical College	Zone-II, Paonta	
Mela ground, Bhunter	Jawalamukhi	Zone-III, Paonta	
Sharabhai, Bhunter-	Bhagot Chamba	Narkanda	
Sanjauli-	Zone-I, Paonta	Nurpur	
Lalpani-	NiiT Hamirpur	Zone-II Sujanpur	
North Disposal-	Mehatpur D Septic Tank	Zone-II, Santokhgarh	
Dhalli-		Zone-I, Kotkhai	
Snowden-		Zone-II, Kotkhai	
Summer Hill-		Bhagsunag	
Khaliar-		Mehatpur ABC	
Ragunat ka Padhar-		Arki	
Naina Devi		Zone-I,Santokhgarh Septic tank	
Badah (Kullu)		Zone-I, Keylong Septic tank	
BhootNath, Kullu		Zone-II,Keylong Septic tank	
Ghumarwin		Zone-III, Keylong Septic tank	
Rampur (Khopri)			
Rampur (Chhuabha)			

Zone-I, Sujanpur			
Dharamsala			
Septic tank Bilaspur			
Zone-C, Una- Septic Tanks			
Zone-B, Solan			
Nadaun			
29	12	21	6

Water samples were collected from final outlets of the operational Sewage Treatment Plants during the year 2014-15. Notices have been issued to I& PH Department to bring the effluent quality of the concerned STPs within the prescribed limits and to comply with all the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

Implementation Status of Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 2003.

The Recycled Plastic Manufacture and Usage Rules, 2003 have been revised on 4 Feb, 2011 and may be called the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011. 1 unit have been registered under the revised Rules in 2014-15. The Annual Report w.r.t plastic rules was prepared and forwarded to Central Pollution Control Board.

CHAPTER-6

LITIGATION RELATED TO ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ACHIEVEMENTS

The H.P. State Pollution Control Board has a Legal Wing comprising of one Law Officer, one Asstt-Law Officer and one Data Entry operator. In view of increasing environmental litigation, the Standing Counsels have been engaged in High Court, District Courts, Supreme Court and NGT level for representing the Board's cases and counsel fee are paid as per schedule approved by the Board in its 60th Board meeting held on 6-01-2010. It has been proposed to strengthen the in house staff of legal wing.

All type of assistance is rendered to Standing Counsels from time to time for preparing replies/written statements and to produce evidence/record as and when required in the cases. Where necessary in important matters, cases are also attended in the courts by Legal staff. Besides this, follow up action for taking information from field/labs or seeking compliance to Courts order is taken. Legal notices/directions are drafted and vetted under the Pollution Control Acts to facilitate the concerned branches. Legal opinion/advice is rendered to the Regional Officers on the clearance of cases/matters involving legal implications. Compliance from Industry has been sought through persuasive and regulatory action under Water /Air Acts and consultative approach with encouraging results thereby, saving time, cost and efforts and legal compliance has increased significantly through these efforts from the industries. However, with increasing awareness about environment and people's right to clean air and water, the total workload has increased on account of increasing incidence of public interest litigation and judicial activism.

Regular notices are issued to the offenders and regulatory action is taken under pollution control laws. Upon failure of samples or failure to comply the Board's direction or as and when violation is observed, power connection of offenders is got disconnected rather than immediate resort to filing of cases. For resolution of conflicts and enviro-legal action, the State Board has resorted to innovative approach, which includes opportunity of hearing through mediation of Board official. The success rates of compliance have been phenomenal and resolutions have been possible in most of the cases.

Apart from this, the legal wing also provides information/ comments to the State Government in Court cases involving environmental matters. Statistical indicators of court cases during 2014-15 are as listed below:-

Statistical Indicators of Court cases for the year -2014-15 (up to 31-3-2015)

Courts	Pending as on 31-3-14	New cases initiated during the year 2014-15	Total cases till 31-03-2015	Decided during the year 2014-15 (1-4-14 to 31-3-15)	Total/ Cumulative pending cases in the Year 2014-15
Supreme Court	29	3	32	1	31
National Green Tribunal (Delhi)	8	6	14	0	14
National Green Tribunal Circuit Bench at Shimla	28	18	46	13	32
High Court Cases/ PIL	54	22	76	21	55
District Courts	12	1	13	2	11
Service matters / cases in High Court	19	1	20	0	20

CHAPTER -7

FINANCE AND ACCOUNT OF THE STATE BOARD FOR THE YEAR 2014-15

- ❖ The accounting structure of H. P. State Pollution Control Board is fully streamlined to the extent that the books of accounts shows position of cash, bank and short/long- term deposit, balance on day to day basis.
- ❖ The Audit account for the financial year 2013-14 has already been laid in monsoon session before the State Legislature on 28/08/2015 and accounts for the FY 2014-15 are under compilation.
- ❖ The total expenditure of the Board during 2014-2015 based upon unaudited accounts was Rs. 2413.87 Lakhs (Including Projects & Income Tax Paid) as against the receipts of Rs. 3527.31 Lakhs (Including Projects, Advance Receipts & Tax Refund) as detailed below:

	(Rs. In Lakhs)
Opening Balance	9396.21
Receipts (Board)	3406.22
Receipts (Projects)	121.09
Income Tax Refund	0.00
Net Amount Available	12923.52
Less Expenditure (Board) during this year	1183.88
Less Expenditure (Projects) during the year	99.45
Closing Balance	10509.65

The above figures have been worked out on the basis of un-audited accounts. Figures are provisional and subject to change after Statutory audit.

CHAPTER -8

ANY OTHER IMPORTANT MATTER DEALT WITH BY THE STATE BOARD

8.1 ENVIRONMENTAL TRAINING & CAPACITY BUILDING:

Trainings/ Workshops Attended by the Officers/Officials of the Board during 2014-15.

Sr. No.	Training Title	Duration	Training Institute	Trainee
1	Air Quality Modeling and Source Apportionment	3 Days	TERI, Delhi	Sh. Lalit Kumar, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Rampur
2	Air Quality Monitoring, Network Design, Air Sampling, Analysis and Quality Assurance	5 Days	CENC, Patna	Sh R. K. Nadda, Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Bilaspur
3	Methodology of Assessment of Indoor Air Quality and Standards	3 Days	TERI, Delhi	Sh. S. K. Dhiman, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Chamba
4	Monitoring and Analysis of non-Point Source of Pollution (NPS)-Agriculture in a Riverine System	3 Days	NIH, Roorkee	Sh Abhay Gupta Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Shimla
5	Monitoring of PM 2.5 and other notified Air Pollutants as per revised NAAQS	5 Days	NEERI, Delhi	Sh Anup Vaidya, Senior Scientific Officer, HPSPCB, Regional Laboratory, Sunder Nagar Sh Hitender Sharma, Scientific Officer, HPSPCB, Head Office, Shimla
.6	Collection, Storage, Handling and Disposal of Plastic Wastes	5 Days	CIPET Chennai	Sh S. K. Shandil, Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Shimla
7	Waste Management (Hazardous, Biomedical, Municipal, Solid, Plastic and E-waste)	5 Days	IIWM, Bhopal	Sh. Hitender Sharma, Scientific Officer, HPSPCB, Head Office, Shimla
8	Bacteriological Techniques for Water and Wastewater Analysis and Quality Assurance	5 Days	PGIMER, Chandigarh	Smt Renu Bala, Junior Scientific Assistant, HPSPCB, Regional Laboratory, Sunder Nagar

9	Clean Technologies and Waste Minimization for Prevention of Industrial Pollution	3 Days	IIT-Guwahati	Sh Pradeep Moudgil, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Paonta Sahib (Kala Amb)
10	Treatment and Removal of TDS and other Pollutants to Promote Zero Liquid Discharge in Pulp and Paper Mills	5 Days	CPPRI, Saharanpur	Sh. Atul Parmar, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Baddi Sh Pawan Kumar, Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Paonta Sahib (Kala Amb)
11	Impact of Air Quality on Human Health	3 Days	PGIMER, Chandigarh	Sh Varun Gupta, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Jassur Sh Anil Kumar, Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Parwanoo
12	Measurement of President Organic Pollutant (POPs) in Environmental Samples	5 Days	NGRI, Hyderabad	Sh Chaman Thakur, Junior Scientific Officer, HPSPCB, Regional Laboratory, Paonta Sahib
13	Occupational Health & Safety Management System (OHSAS) 18001:2007	3 Days	NIOH, Ahmadabad	Sh Rahul Sharma, Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Una
14	Climate Change and Carbon Mitigation	5 Days	Indian Council of Forestry Research and Education	Dr Indu Bala Gupta, Scientific Officer, HPSPCB, Regional Laboratory, Paonta Sahib, HP Sh. Pradeep Moudgil, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Paonta Sahib (Kala Amb) HP
15	Climate Change Vulnerabilities and Adaptation Strategies	5 Days	Indian Council of Forestry Research and Education	Sh Brij Bhushan, Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Parwanoo District Solan HP Sh. Pawan Sharma, Junior Environmental Engineer, HP HPSPCB, Regional Office, Paonta Sahib District Sirmour HP
16	Sustainable Development and Management of Ground Water Resources	5 Days	Mashobra (Shimla)	Sh Lalit Kumar, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Rampur

				Sh Sanjeev Rongta, Junior Scientific Assistant, HPSPCB, Head Office, Shimla
17	Sustainable Development and Management of Ground Water Resources	5 Days	DRDA Chamba	Sh Praveen Dhiman, Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Chamba Sh Vinay Kumar, Junior Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office, Jassur

8.2 ENVIRONMENTAL AWARENESS:

8.2.1 About Environment Campaign by the State Board:

Environmental campaign has become an important tool to achieve effective compliance of various pollution control norms. The following mechanisms can be fruitful to promote environmental awareness:

- a) Generating public awareness and environmental education, particularly among targeted groups, about relevant laws and regulations and about their rights, interests, duties and responsibilities, as well as about the social, environmental and economic consequences of non compliance.
- b) Promoting responsible action in the community through the media by involving key public players, decision-makers and opinion-builders in such campaigns.
- c) Organizing campaigns for fostering environmental awareness among communities, non-government organizations, the private sector and industrial and trade associations.
- d) Inclusion of awareness and environment education programmes in schools and other educational establishments as part of education.

In Himachal Pradesh, considering the facts above, the State Board with active cooperation of various departments of the state government has initiated various types of environmental awareness programmes targeting the people of all walks of life.

In order to make the general masses aware of the environmental issues the following activities were carried out during the year:



a) World Environment Day 5th June, 2014:

The State Board organized the World Environment Day 2014 to spread this message and create awareness among the public. World Environment Day or popularly known as Environmental Day is observed every year on June 5 to promote awareness on the importance of preserving our biodiversity. It also aims to identify issues related to environment and ways to take corrective action.

The theme for World Environment Day 2014 was **“Small Islands and Climate Change”**.

The State Board observed the day with great enthusiasm by organizing scores of activities with the support of State Board’s field offices such as Regional Offices, Laboratories, schools and individuals. The programmes share the ideas to tackle environmental challenges that include natural disasters, global warming and toxic substances.

- (i) School level declamation contests were organized at Regional Office level in different schools on 5th June 2014.
- (ii) Vehicular monitoring in the major towns of the State.
- (iii) Activities like drawing competition, slogan writing and debates were organized for the school students by the State Board.

- (iv) Rallies were taken out by the school children carrying banners and signboards on environmental slogans at Regional Office level.
- (v) Distribution of pamphlets on vehicular pollution, air pollution and noise pollution amongst general public and students.



Environmental awareness activities conducted in schools



Vehicular monitoring activities




- b) **Advertisement and Publicity:** During the year 2014-15 the State Board intensified mass awareness campaign through publication of matter in the leading national, local newspapers, weekly & quarterly magazines.
- c) **Control of Noise Pollution:** Campaign against noise pollution due to firecrackers was also launched on the eve of Diwali festivals throughout the State by way of noise monitoring and advertisements in the newspapers.

Published on the eve of Diwali 2014


Display advertisement published in various newspapers

8.3 PREPARATION OF DISTRICT ENVIRONMENTAL ATLAS FOR SEVEN DISTRICTS OF THE STATE:

The State Board prepared district environmental atlases for seven districts namely Kinnaur, Mandi, Hamirpur, Chamba, Lahul and Spiti, Una and Bilaspur districts under the Centrally sponsored Spatial Environmental Planning Programme during the current year. The State Board initiated to cover the remaining seven districts under this programme from 2013 onwards. The atlas includes comprehensive mapping of the district including physical characteristics, surface water characteristics, environmentally sensitive zones, major sources of pollution, and environmental quality. About 24 maps were prepared for each atlas along with the brief write-up on each thematic layer. The atlases were prepared and submitted to the Central Pollution Control Board.



(Source: District Environmental Atlases for Chamba, Mandi and Hamirpur)





वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15



हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

हिम परिवेश, फेज 3, न्यू शिमला- 171009

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1 - 3
2	बोर्ड का शासन् क्रम	4
3	राज्य बोर्ड की बैठकें	5
4	हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति	6 - 25
5	प्रदूषण नियन्त्रण, निगरानी और पर्यवीक्षण प्रणाली	26-36
6	पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मुकद्दमें और दोष सिद्धियाँ	37- 38
7	राज्य बोर्ड का वर्ष 2014–2015 का वित्त एवं लेखा	39
8	राज्य बोर्ड के अन्य मुख्य मुद्दे	40 - 46
9	(संरचना परिशिष्ट-1)	47

अध्याय –1

भूमिका

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत किया गया। इसके उपरान्त जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) उपकर अधिनियम 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम) 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 लागू किये गये। इसके अतिरिक्त इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम बनाए गए जिनका क्रियान्वयन बोर्ड को सौंपा गया। इन सभी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना है और प्राणियों की पर्यावरण के खतरों से रक्षा करना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत पर्यावरण नियोजन, संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण एवं समन्वय हेतु उपरोक्त अधिनियमों के अनुसार एक नियामक संस्था है। राज्य बोर्ड हमेशा युक्तिपूर्ण संतुलन आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संतुलन के लिए चिरस्थायी विकास हेतु प्रयासरत है। बोर्ड द्वारा पर्यावरण सम्बन्धित चुनौतियों के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

निम्नलिखित अधिनियम महत्वपूर्ण हैं इनमें राज्य बोर्ड के कार्य और कर्तव्यों को दर्शाया गया है:

- **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974:** भारतीय संविधान की धारा 252 के अनुच्छेद-1 के अन्तर्गत, इस अधिनियम को जल प्रदूषण निवारण नियन्त्रण और जल के स्वच्छता की बहाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गणतन्त्र के 25 वें वर्ष में लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन वर्ष 1974 में इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था।
- **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण उपकर) अधिनियम 1977:** इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों एवं स्थानीय प्राधिकरणों में प्रयोग किए गए जल पर उपकर लगाने का प्रावधान है ताकि जल के व्यर्थ उपभोग पर अंकुश लगाया जा सके।
- **वायु (प्रदूषण निवारण और सीमा पार संचलन नियन्त्रण अधिनियम) 1981:** जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के आधार पर भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दूसरा समानान्तर अधिनियम बनाया गया जिसका क्रियान्वयन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सौंपा गया।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986:** संसद ने 37 वें गणतन्त्र वर्ष में यह वृहद अधिनियम उपरोक्त जल एवं वायु अधिनियमों की कमी को पूरा करने के लिये लागू किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य अन्य अधिनियमों में निहित संवैधानिक त्रुटियों को दूर करना था। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का कर्तव्य निम्नलिखित मुख्य नियमों एवं अधिसूचनाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन करना है:

1- परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989

- 2- परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008
- 3- विनिर्माण, उपयोग, निर्यात और भण्डारण संकटमय अणु जीव, जनन जीवों या जीवाणु नियम, 1989
- 4- ध्वनि प्रदूषण (नियन्त्रण एवं विनियमन) नियम, 1999
- 5- जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998
- 6- पुनः चकित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999/2003
- 7- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000
- 8- ओजोन अवंशकारी प्रदार्थ (नियन्त्रण एवं विनियमन) नियम, 2000
- 9- बैट्रीज (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000

1.1 जनहित से सम्बन्धित अन्य क्षेत्र/नियम/अधिनियम:

जनहित से सम्बन्धित अन्य क्षेत्र/अधिनियम/पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नियमों को कुछ मामलों में लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है फिर भी यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है । वे निम्नलिखित हैं :-

- लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988

1.2 राज्य बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित है:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम, 1974 के अर्न्तगत हुआ था । तब से लेकर अब तक बोर्ड के कार्यकलापों में कई गुणा बढ़ौतरी हुआ है । राज्य बोर्ड उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अर्न्तगत विधान करना है । राज्य बोर्ड के गठन बाद इन नियमों में उतरोतर बढ़ौतरी हुई है !

- राज्य की नदियों और कुओं के जल व वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण व रोकथाम के लिए व्यापक योजना कार्यक्रम तैयार करना और इनको सुरक्षित रखना ।
- जल व वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व रोकथाम से संबंधित कार्य के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- जल व वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं रोकथाम और गुणवत्ता से संबंधित सूचना को एकत्रित कर उसका प्रसार करना ।
- जल व वायु की गुणवत्ता के लिए वहिस्त्राव/उत्सारण मानकों का सृजन एवं संशोधन करना ।
- औद्योगिक इकाइयों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, मल और औद्योगिक वहिस्त्राव का निरीक्षण करना तथा उसके प्रबन्धन के लिए उचित कदम उठाना ।

- जल और वायु प्रदूषण की समस्याओं के निवारण के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन करना ।
- पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना 2008 के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों की विकास परियोजनाओं में उपयुक्त प्रदूषण नियन्त्रण एवं प्रबन्धन लागू करना ।
- प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का परिशीलन करना ।
- प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के सम्बन्ध में जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- जल और वायु प्रदूषण निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में अनुपालना हेतु प्रोत्साहन, कार्य संचालन और जांच पड़ताल में सहभागिता और प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का पालन करना ।
- इकाई के स्थल चयनित से नदी या कुआं या वायु प्रदूषण के संभावना के बारे में सरकार को सलाह देना ।
- किसी ऐसे आदेशों को जारी करना, वापिस लेना और संशोधन करना जिससे :-
 - नदी या कुओं में अपशिष्ट वहिस्राव निवारण एवं नियन्त्रण ।
 - आवश्यकतानुसार वर्तमान मल-जल और वहिस्राव प्रणाली के प्रबन्धन को सुनिश्चित करना, नई प्रणाली बनाने, संशोधन, परिवर्तन या संवर्धन करना या ऐसे उपकरण अपनाना जिससे जल प्रदूषण नियन्त्रित हो ।
 - पर्यावरण के पहलुओं को विकास योजना/क्रियाकलापों में सतह सम्मत पर्यावरण नियोजन के द्वारा एकीकरण करना ।
 - समय-समय पर राज्य/केन्द्रीय सरकारों द्वारा नियत किए गए अन्य कार्यों का संचालन करना ।

राज्य बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत अध्यक्ष इसका मुखिया है। इसका प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव है। राज्य बोर्ड के दस क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो शिमला, परवाणु, जसूर, पांवटा साहिब, बद्दी, ऊना, चम्बा, कुल्लू, बिलासपुर और रामपुर में स्थापित हैं और एक उप क्षेत्रीय कार्यालय काला अम्ब में है, जिनको पर्यावरण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत, निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय को धर्मशाला में स्थापित करने का प्रस्ताव है। परवाणु में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है और तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो पांवटा साहिब, जसूर और सुन्दरनगर में स्थित हैं, जिनका कार्य नमूनों का विश्लेषण करना है और इसके इलावा वैज्ञानिक सूचना आधार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। यह प्रशासनिक ढांचा अनेक प्रकार के कार्य जैसे कि पर्यावरण प्रबन्ध पर्यवेक्षण, निगरानी और पर्यावरण विश्लेषण के रूप में करता है। राज्य बोर्ड संगठन की संगठनात्मक **संरचना परिशिष्ट-1** पर दर्शाई गई है।

अध्याय-2

बोर्ड का शासन् क्रम

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एस0 टी0 ई0 .ए0 (1) -4/2001-लूज़ फाईल दिनांक 31.1.2012 द्वारा श्री कुलदीप सिंह पठानिया को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना एस0 टी0 ई0 .ए0 (1)-4/2001-लूज़ फाईल दिनांक 20.05.2013 के अन्तर्गत गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई और सरकारी सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या एस0 टी0 ई0 .ए0 (1)-4/2001-1 एल0 दिनांक 03.07.2014 द्वारा नामांकित किया गया। बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

2.1 शासकीय सदस्य:

क्र० सं०	शासकीय सदस्य	पदनाम
1	प्रधान सचिव (पर्यावरण वि० एवं प्रौ०) हिमाचल प्रदेश सरकार ।	सदस्य
2	प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार ।	सदस्य
3	प्रधान सचिव (बहु उद्देशीय परियोजना एवं उर्जा) हिमाचल प्रदेश सरकार ।	सदस्य
4	प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार ।	सदस्य
5	प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार ।	सदस्य
6	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला ।	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (हिमउर्जा) शिमला ।	सदस्य

2.2 गैर शासकीय सदस्य :

क्र० सं०	गैर . शासकीय सदस्य	पदनाम
1	श्री दीपक सूद, अध्यक्ष, नगर पालिका रामपुर, जिला शिमला ।	सदस्य
2	श्री मुनीश शर्मा, उपाध्यक्ष, नगर पालिका कुल्लू, जिला कुल्लू।	सदस्य
3	श्री शिव कुमार सैनी, पार्षद, नगर पालिका, ऊना, जिला ऊना ।	सदस्य
4	श्रीमती कृष्णा महाजन, अध्यक्ष, नगर पालिका नूरपुर, जिला काँगडा ।	सदस्य
5	श्री ईश्वर दास छुवारू, गाँव दिसवानी, डाकघर कलोटी, तह०-चिडगाँव, जिला शिमला ।	सदस्य
6	श्री अरविंद गुप्ता, सोभा हाऊस, सोलन ।	सदस्य
7	श्री प्रेम कौशल, गाँव व डाकघर भोटा, तह० - बडसर, जिला-हमीरपुर ।	सदस्य

अध्याय-3

राज्य बोर्ड की बैठकें

राज्य बोर्ड की 70वीं व 71वीं बैठकें जो कि दिनांक 16.06.2014 व 12.11.2014 को आयोजित हुईं जिनमें निम्न प्रमुख निर्णय लिए गए ।

राज्य बोर्ड की 70वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

- 1 हि0 प्रदेश वित्त विभाग के निर्देशों दिनांक 20.01.2003 के अनुसार कर्मचारियों की मंजूरी, वेतनमानों में संशोधन / राज्य बोर्ड में सम्बद्ध मामलों के उन्नयन के लिए सेवा मामलों की उप समिति के पुर्नगठन के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा माना व अनुमोदित किया गया ।
- 2 श्री शशि शेखर पर्यावरण नियोजक की तदर्थ सेवाओं को नियमित करने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।

राज्य बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय :

अंशकालिक श्रमिकों को दैनिक भोगी रूपोंतरण करने बारे प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया । हालाँकि बोर्ड के सदस्यों द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश सरकार की नीतियों को अपनाने के मामले को अध्यक्ष और सदस्य सचिव के स्तर पर ही ले लिए जाएं और भविष्य में बोर्ड के समक्ष केवल अवलोकन व जानकारी के लिए ही लाये जाएं ।

अध्याय-4

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

परिवेश वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण :-

राष्ट्रीय परिवेश वायु प्रबोधन कार्यक्रम 1986-87 से आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य बुनियादी तौर से प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को जांचने और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ प्रदूषण की मात्रा का अध्ययन करना है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. शहरों की सामान्य वायु गुणवत्ता की स्थिति का मुल्यांकन और प्रदूषकों का संकेन्द्रित दीर्घकालीन प्रवृत्ति के आधार पर विकास की दिशा तय करना ।
2. शहरों के वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के परवर्ती विकास के लिए आंकड़े जुटाना ।

परिवेश वायु में आर .एस. पी. एम. की गुणवत्ता प्रबोधन रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर की सहायता से प्रति सप्ताह में तीन बार 24 घण्टे प्रदेश के 11 कस्बों/शहरों में 21 जगहों में की जा रही है। राज्य बोर्ड केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नये वायु गुणवत्ता प्रबोधन स्टेशन धर्मशाला पर प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय परिवेश वायु प्रबोधन के मानक तालिका संख्या-1 में दर्शाये गये हैं

सारणी सं0 1रू राष्ट्रीय परिवेश वायु प्रबोधन मानक

क्रम संख्या	प्रदूषक	औसतन समय	वायु परिवेश में घनत्व		
			औद्योगिक, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्र	आवासीय, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित)	प्रबोधन की पद्धति
1	सल्फर डाय ऑक्साईड (SO ₂)	वार्षिक *	50 µg/m ³	20 µg/m ³	-उन्नत पश्चिम और गार्डिक -पराबैंगनी परिदीप्ति
		24 घण्टे**	80 µg/m ³	80 µg/m ³	
2	नाइट्रोजन डाय ऑक्साईड (NO ₂)	वार्षिक *	40 µg/m ³	30 µg/m ³	-उपांतरित जैकव और हॉचाइजर (सोडियम-आर्सेनाइट) प्रणाली -रासायनिक संदीप्ति
		24 घण्टे**	80 µg/m ³	80 µg/m ³	
3	पार्टिकुलेट मैटर (PM ₁₀) (10 माइक्रोन से कम का आकार)	वार्षिक *	60 µg/m ³	60 µg/m ³	-त्रैविमेट्रिक -TOEM -बीटा अटेन्यूएशन
		24 घण्टे**	100 µg/m ³	100 µg/m ³	
4	पार्टिकुलेट मैटर	वार्षिक *	40 µg/m ³	40 µg/m ³	-त्रैविमेट्रिक

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति



	(PM _{2.5}) (2.5 माइक्रोन से कम का आकार)	24 घण्टे**	60 µg/m ³	60 µg/m ³	—TOEM —बीटा अटेन्यूएशन
5	ओज़ोन (O ₃)	8 घण्टे **	100 µg/m ³	100 µg/m ³	—पराबैंगनी फोटोमेट्रिक
		1 घण्टे **	180 µg/m ³	180 µg/m ³	—रासायनिक संदीप्ति —रासायनिक विधि
6	सीसा (Pb)	वार्षिक *	0.50 µg/m ³	0.50 µg/m ³	—इ ^० पी ^० एम ^० 2000 या समकक्ष फ़िल्टरपेपर पर सैम्प्लिंग के बाद एएनएस ^० & आइ ^० सी ^० पी ^० विधि द्वारा
		24 घण्टे**	1.0 µg/m ³	1.0 µg/m ³	—टेफ्लोन फ़िल्टर के उपयोग से —ED-XRF द्वारा
7	कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)	8 घण्टे *	2.0 mg/m ³	2.0 mg/m ³	—नॉन डिस्पर्सिव इन्फ़ारेड एन ^० डी ^० आइ ^० आर ^० द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी
		1 घण्टे *	4.0 mg/m ³	4.0 mg/m ³	
8	अमोनिया (NH ₃)	वार्षिक *	100 µg/m ³	100 µg/m ³	—रासायनिक संदीप्ति
		24 घण्टे**	400 µg/m ³	400 µg/m ³	—इंडोफिनोल वलू विधि
9	बेन्ज़ीन (C ₆ H ₆)	वार्षिक *	5.0 µg/m ³	5.0 µg/m ³	—निरन्तर विश्लेषक पर आधारित गैस क्रोमैटोग्राफी —एडजोप्शन तथा डीजोप्शन के बाद गैस क्रोमैटोग्राफी विश्लेषण द्वारा
10	बेन्ज़ो ,एड्ड पाइरीन (BaP)- केवल पार्टिकुलेट फेज़	वार्षिक *	1.0 ng/m ³	1.0 ng/m ³	—साल्वन्ट इक्स्ट्रैक्शन के बाद HPLC/GC विश्लेषण द्वारा
11	आर्सेनिक (As)	वार्षिक *	6.0 ng/m ³	6.0 ng/m ³	—इ ^० पी ^० एम ^० 2000 या समकक्ष फ़िल्टरपेपर पर सैम्प्लिंग के बाद एएनएस ^० & आइ ^० सी ^० पी ^० विधि द्वारा
12	निकल (Ni)	वार्षिक *	20.0 ng/m ³	20.0 ng/m ³	—इ ^० पी ^० एम ^० 2000 या समकक्ष फ़िल्टरपेपर पर सैम्प्लिंग के बाद एएनएस ^० & आइ ^० सी ^० पी ^० विधि द्वारा

* वर्ष में एक समान अंतरालों पर सप्ताह में दो बार प्रति 24 घण्टे तक किसी एक स्थान विशेष पर लिये गये न्यूनतम 104 मापों का वार्षिक अंकगणितीय औसत ।

** वर्ष में 98 प्रतिशत समय पर 24 घण्टे या 8 घण्टे या 1 घण्टे के मॉनीटर मापमान, जो लागू हो, अनुपालन किये जाएंगे । दो प्रतिशत समय पर यह मापमान अधिक हो सकता है, किन्तु कमिक दो मॉनीटरिंग करने के दिनों पर नहीं ।

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति
हिमाचल प्रदेश की परिवेश वायु गुणवत्ता

हिमाचल प्रदेश में परिवेश वायु गुणवत्ता की जांच 11 कस्बों/शहरों शिमला, परवाणु, जसूर, पांवटा साहिब, काला अम्ब, बद्दी, नालागढ, सुन्दरनगर, मनाली, उना और धर्मशाला में राष्ट्रीय परिवेश वायु प्रबोधन कार्यक्रम के तहत की जा रही है। 24 घण्टों के लिए वायु प्रबोधन मानक आर. एस. पी. एम. 100 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर और सल्फर डाईआक्साईड तथा नाईट्रोजन आक्साईडस के लिए 80 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर की मात्रा निर्धारित की गई है। आर.एस. पी. एम. के लिए वार्षिक औसतन मात्रा 60 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर तथा सल्फर डाईआक्साईड और नाईट्रोजन आक्साईडस के लिए कमशः 50 और 40 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर निर्धारित की गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान 21 प्रबोधन स्थानों से प्राप्त आंकड़ों की छंटनी के बाद सल्फर डाईआक्साईड, नाइट्रोजन आक्साईडस तथा आर. एस. पी. एम. का मासिक औसत तथा उच्चतम वैल्यू निकाली गयी जिसका रूझान नीचे दर्शाया गया है:-



निष्कर्ष:

सल्फरडाईआक्साईड और नाईट्रोजन आक्साईडस की सालाना औसतन मात्रा सभी प्रबोधन स्थानों में 24 घंटे की निर्धारित मात्रा से नीचे पाई गई है। सल्फरडाईआक्साईड की अधिकतम मात्रा 20.8 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर हाउसिंग बोर्ड बद्दी स्टेशन पर और नाईट्रोजन आक्साईडस की अधिकतम मात्रा 108.8 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर नगर निगम नालागढ़ स्टेशन पर पाई गई ।

शिमला, सेक्टर - 4 परवाणु, मनाली और धर्मशाला में सभी प्रबोधन स्थानों पर आर. एस. पी. एम. की सालाना औसतन मात्रा निर्धारित मात्रा से नीचे पाई गई है। बाकी सभी प्रबोधन स्थानों सेक्टर - 1 परवाणु, डी. आई. सी. बद्दी, ए0 एच0 सी0 बरोटीवाला नगर निगम नालागढ़, हाउसिंग बोर्ड बद्दी, डमटाल स्टेशन-1, डमटाल स्टेशन-2, पांवटा साहिब, गोन्दपुर, काला अम्ब, उना, मैहतपुर और सुन्दरनगर पर आर. एस. पी. एम. की सालाना औसतन मात्रा निर्धारित मात्रा से उपर पाई गई है।

पिछले वर्षों की तुलना में परवाणु, बद्दी, काला अम्ब, उना, स्टेशन न0-2 मनाली पर आर. एस. पी. एम. की सालाना औसतन मात्रा में गिरावट हुई है जबकि शिमला, डमटाल, पांवटा साहिब, गोन्दपुर, त्रिलोकपुर, सुन्दरनगर और मनाली स्टेशन न0-1 पर आर. एस. पी. एम. की सालाना औसतन मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

सभी प्रबोधन स्थानों के परिवेश वायु गुणवत्ता आंकड़े नीचे दिए हैं।

तलिका सं0 - 2

स्टेशन	सल्फर डाईआक्साईड सालाना औसतन	नाईट्रोजन आक्साईडस सालाना औसतन
शिमला स्टेशन न0 1	2.0	9.9
शिमला स्टेशन न0 2	2.0	13.2
परवाणु स्टेशन न0-1	2.0	12.3
परवाणु स्टेशन न0-2	2.0	13.0
डी. आई. सी. बद्दी	2.0	24.3
ए0 एच0 सी0 बरोटीवाला	2.0	20.0
हाउसिंग बोर्ड बद्दी	2.0	21.9
नगर निगम नालागढ़	2.0	22.4
डमटाल स्टेशन न01	2.0	10.4
डमटाल स्टेशन न0 2	2.0	15.8
पांवटा साहिब	2.7	13.7
गोन्दपुर	3.5	14.5

काला अम्ब	3.5	13.0
त्रिलोकपुर	2.7	13.3
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय भवन, उना	2.0	5.3
औद्योगिक क्षेत्र, मैहतपुर	2.1	5.6
सुन्दरनगर स्टेशन न01	2.1	10.3
सुन्दरनगर स्टेशन न02	2.1	14.0
मनाली, स्टेशन न01	2.3	13.9
मनाली, स्टेशन न0 2	2.1	8.4
कोतवाली बाजार धर्मशाला	2.0	10.8

तालिका सं0 – 3

स्टेशन	आर. एस .पी. एम. सालाना औसतन
शिमला स्टेशन न0 1	46.1
शिमला स्टेशन न0 2	56.8
परवाणु स्टेशन न0-1	56.8
परवाणु स्टेशन न0-2	69.0
डी. आई. सी. बद्दी	118.5
ए0 एच0 सी0 बरोटीवाला	102.7
हाउसिंग बोर्ड बद्दी	72.2
नगर निगम नालागढ़	99.3
डमटाल स्टेशन न01	66.4
डमटाल स्टेशन न0 2	145.5
पांवटा साहिब	100.8
गोन्दपुर	141.6
काला अम्ब	141.3
त्रिलोकपुर	79.6
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय भवन, उना	69.6

औद्योगिक क्षेत्र,मैहतपुर	79.0
सुन्दरनगर स्टेशन न01	79.5
सुन्दरनगर स्टेशन न02	93.9
मनाली, स्टेशन न01	53.1
मनाली, स्टेशन न0 2	31.4
कोतवाली बाजार धर्मशाला	31.2

नदी जल गुणवत्ता की स्थिति :

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता स्थिति की जांच का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मुख्य कार्यों में से एक है। पानी की गुणवत्ता की जांच से प्राप्त जानकारी से न केवल प्रदूषण नियन्त्रण के लिये कारगर कदम उठाने में मदद मिलती है अपितु पानी तथा जलीय जीव जन्तुओं पर प्रदूषण से पड़ने वाले दुष्प्रभाव का भी पता चलता है। इस कार्य का प्रयोजन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन, मिनारस के अन्तर्गत राज्य की प्रमुख नदियों की गुणवत्ता की जांच द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा हर महीने में पानी के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना, पार्वती, सिरसा, मारकण्डा, सुखना नदियों, सहायक नदियों तथा भू जल के कुल 235 चयनित स्थानों से नमूने लिए जाते हैं। पानी के नमूनों में भौतिक व रसायनिक और जीवाणुओं की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। परिणाम सूची सारणी में दर्शाए गए हैं।

तालिका – बी: प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदण्ड		
आधार	जल की श्रेणी	मानदण्ड
पीने के पानी के स्रोत बिना परम्परागत उपचार के	ए	<ol style="list-style-type: none"> 1. टोटल कोलिफोर्म ओरगेनिजम एम0 पी0 एन0/100 एम. एल. जो कि 50 या कम होगा। 2. पी. एच. 6.5 और 8.5 के मध्य। 3. डिजोलब्ड आक्सीजन 6 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या अधिक। 4. वायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड 5 दिन 20 डिग्री सी 2 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या कम।
सार्वजनिक स्नान	बी	<ol style="list-style-type: none"> 1. टोटल कोलिफोर्म ओरगेनिजम, एम0 पी0 एन0 /100 एम. एल. जो कि 500 या कम होगा। 2. पी. एच. 6.5 और 8.5 के मध्य। 3. डिजोलब्ड आक्सीजन 5 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या अधिक। 4. वायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड 5 दिन 20 डिग्री सी 3 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या कम।

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

पीने के पानी का स्रोत, परम्परागत उपचार के उपरान्त	सी	<ol style="list-style-type: none"> 1. टोटल कोलिफॉर्म ओरगेनिज्म, एम0 पी0 एन0/100 एम. एल. जो कि 5000 या कम होगा । 2. पी. एच. 6 और 9 के मध्य । 3. डिजोलड आक्सीजन 4 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या अधिक । 4. वायोकैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड 5 दिन 20 डिग्री सी 3 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या कम ।
वन्य जीव मच्छलियों का पालन	डी	<ol style="list-style-type: none"> 1. पी. एच. 6.5 और 9.5 के मध्य । 2. डिजोलड आक्सीजन 4 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या अधिक । 3. फ्री अमोनिया ;एन रूप में 1.2 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> या कम ।
सिंचाई, उद्योग द्वारा कुलिंग एवं नियन्त्रित अपशिष्ट	इ	<ol style="list-style-type: none"> 1. पी. एच. 6.5 और 9.5 के मध्य । 2. इलैक्ट्रीकल कंडक्टिविटी 25 एम जी /<u>सी</u> एम अधिकतम 2250 3. सोडियम अबजोरपसन् अनुपात अधिकतम 26 4. बोरोन अधिकतम 2 मिली <u>ग्राम/लीटर</u> ।

उपरोक्त अध्ययन का निष्कर्ष निम्नलिखित है:

प्राथमिक जल गुणवत्ता प्रमाप के आधार पर मुख्य नदियों में पी. एच., डी. ओ. और बी. ओ. डी. की मात्रा नदी की जल गुणवत्ता 'ए' श्रेणी में आती है। जबकि क्रिटिकल पैरामीटर टोटल कोलिफॉर्म के अनुसार जल की गुणवत्ता श्रेणी 'बी' में आती है यदि टोटल कोलिफारम की मात्रा 50 एम. पी. एन. प्रति 100 मि. ली. से अधिक हो या श्रेणी 'सी' में आती है यदि टोटल कोलिफारम की मात्रा 500 एम. पी. एन. प्रति 100 मि. ली. से अधिक हो।

वर्ष 2014-15 मिनारस एवं प्रदेश जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नदियों में जल गुणवत्ता आंकड़े।

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक के मिनारस गुणवत्ता आंकड़े

परख स्थान		Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sept-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15
पट्टर नदी उ/धा धमवाडी	पी. एच.	7.68	7.09	7.06	--	6.16	7.55	6.57	7.71	6.77	6.80	6.20	7.06
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	8.9	9.0	9.0	--	9.8	9.3	9.0	9.0	9.8	9.8	9.7	9.5
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	0.2	0.6	0.4	--	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	<2	3	14	--	2	16	<2	<2	<2	<2	<2	<2
पट्टर	पी. एच.	6.82	7.12	7.11	6.82	6.22	7.28	6.76	7.22	6.61	6.90	6.74	7.11

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

नदी उ/घा रोहडू	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.0	9.5	8.8	9.5	9.5	9.5	9.1	9.5	9.0	9.4	9.5	9.3
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	0.4	0.1	0.7	0.5	0.4
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	3	<2	10	2	2	21	<2	<2	<2	<2	10	2
पखर नदी स्नैल नी/घा टी. आर. टी. सावडा कुडडु	पी. एच.	7.29	7.25	7.69	7.21	6.06	6.10	7.03	7.11	6.97	7.10	6.80	7.04
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.2	8.9	9.9	8.3	8.9	9.2	8.8	9.0	8.6	9.0	8.8	8.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.4	0.7	0.7	1.0
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	<2	12	12	8	<2	10	<2	<2	2	<2	<2	<2
ताँस नदी हि.प्र. बाउंडरी	पी. एच.	6.88	7.01	7.41	7.88	6.12	7.49	7.52	7.05	6.87	6.88	6.94	7.01
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.2	9.0	9.5	8.4	8.9	9.1	8.9	8.9	8.4	9.0	8.9	8.7
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.8	0.4	0.2	0.1	0.8	0.2	0.5
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	<2	<2	12	15	5	18	<2	4	5	<2	<2	<2
अशवनी खड उ/घा यशवन्त नगर	पी. एच.	7.93	7.88	7.81	6.71	7.30	7.83	7.13	7.37	7.69	7.92	7.34	8.04
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.1	10.4	7.2	7.7	7.2	8.1	7.2	6.1	8.2	8.7	8.7	8.5
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.2	0.3	0.8	0.8	0.8	0.2	0.1	1.2	0.1	0.8	0.8	1.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	12	18	12	28	14	28	16	16	6	10	<2	9
गिरि नदी नी /घा यशवन्त नगरद्व	पी. एच.	7.02	7.89	7.84	6.82	7.53	7.64	7.32	7.20	7.28	7.71	7.56	7.94
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.2	8.7	7.5	8.1	7.4	7.9	7.8	6.2	8.4	7.8	9.0	8.9
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	2.0	0.2	1.1	0.4	1.0	0.4	0.2	0.8	0.1	0.5	0.6	0.6
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	14	32	6	22	12	36	8	20	4	8	8	11
सुखना नदी परवाणु	पी. एच.	6.87	7.17	7.72	6.80	6.64	7.80	6.80	7.29	7.26	7.41	7.21	7.27
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	0.0	5.6	2.4	5.8	4.6	4.3	6.0	2.4	4.3	6.7	3.6	2.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	3.8	3.2	4.0	4.0	8.0	4.4	195. 0	5.2	14.0	14.0	12.0	0.7

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	82	160	460	71	240	344	260	280	142	112	164	212
लिफ्ट	पी. एच.	6.69	7.31	7.88	7.02	5.92	7.04	7.10	7.81	6.88	7.30	6.74	7.21
नाला नी/धा	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	4.7	3.5	3.1	4.3	4.0	4.2	4.3	4.5	4.2	7.6	6.8	6.1
एम. सी. वेस्ट	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	12.0	4.4	7.6	1.8	2.0	12.0	4.0	0.8	3.8	3.2	2.4	2.8
प्रोसैसिंग साइट	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	74	44	124	77	68	168	28	42	56	14	10	32
सिरसा नदी	पी. एच.	7.21	7.78	7.21	7.52	6.29	--	6.94	7.69	--	7.58	6.82	7.37
उ/धा	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.8	7.3	7.2	7.8	6.5	--	7.9	4.9	--	7.9	--	--
सीतोमा जरी	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.5	1.8	1.6	0.5	1.4	--	1.2	0.8	--	1.2	1.2	1.8
नाला	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
सिरसा नदी	पी. एच.	7.86	7.77	7.69	7.49	6.66	--	7.37	8.42	--	7.56	7.10	7.28
नी/धा	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	5.6	6.3	6.2	5.6	6.9	--	5.7	5.2	--	6	--	--
नालागढ़ ब्रिज	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	3.0	1.6	1.8	0.8	1.8	--	4.0	1.6	--	2.6	1.8	2.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
सिरसा नदी	पी. एच.	7.89	7.79	7.06	7.43	6.77	--	7.40	8.23	--	7.79	7.06	7.13
नी/धा	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.4	6.1	5.8	8.4	6.6	--	8.5	9.7	--	7	--	--
नालागढ़ टाउन	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.6	1.2	3.6	0.4	1.4	--	1.1	2.4	--	1.8	1.4	2.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
एम एस डबल्यू सोलन	पी. एच.	7.88	7.69	7.78	6.91	7.77	7.75	7.40	7.64	7.52	7.59	7.63	7.85
डंपिंग साइट	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.5	9.8	6.8	7.9	7.8	8.2	8.1	4.8	7.8	7.5	7.7	7.2
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.8	1.1	1.6	2.0	0.8	0.6	2.4	1.2	0.2	1.0	0.8	0.7

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	14	24	20	48	12	48	10	18	8	4	4	4
यमुना नदी उ/घा पौंटा साहिब	पी. एच.	7.35	6.38	8.43	6.99	7.61	7.89	7.87	7.29	7.32	7.29	7.31	8.61
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.50	7.40	7.40	6.40	7.60	7.80	8.20	7.30	8.40	7.80	8.00	7.80
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.20	1.20	0.80	1.20	1.00	1.20	1.60	1.00	1.00	1.40	1.20	1.20
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	19.0 0	20.0 0	18.0 0	19.0 0	20.0 0	21.00	19.0 0	18.0 0	20.0 0	17.0 0	18.0 0	20.0 0
यमुना नदी नी/घा पौंटा साहिब	पी. एच.	7.45	6.64	8.82	7.73	7.91	8.07	8.12	7.39	7.34	7.62	7.06	8.68
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.40	7.30	7.30	7.20	7.50	7.50	8.00	7.20	8.20	7.50	7.80	7.60
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.50	1.00	1.20	1.60	1.60	1.60	1.80	1.20	1.80	1.60	1.60	1.40
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	22.0 0	22.0 0	22.0 0	20.0 0	21.0 0	19.00	22.0 0	20.0 0	22.0 0	20.0 0	20.0 0	22.0 0
बाता नदी उ/घा पौंटा साहिब	पी. एच.	7.41	6.24	8.92	7.86	7.92	8.06	8.10	7.34	7.20	7.47	7.59	8.70
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.00	7.20	7.20	7.80	7.70	7.90	8.00	7.80	8.30	8.00	7.60	7.70
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.60	1.20	1.00	1.20	1.00	1.00	1.20	1.10	1.00	1.00	1.20	1.60
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	15.0 0	25.0 0	26.0 0	24.0 0	18.0 0	18.00	14.0 0	20.0 0	16.0 0	20.0 0	19.0 0	24.0 0
बाता नदी नी /घा पौंटा साहिब	पी. एच.	7.50	6.37	8.61	8.89	7.32	8.12	8.09	7.12	7.32	7.36	7.51	7.89
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	6.90	7.10	7.10	7.30	7.60	7.60	7.80	7.60	8.10	7.90	7.40	7.60
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.40	1.60	1.40	1.60	1.40	1.20	1.40	1.00	1.20	1.20	1.60	1.40
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	14.0 0	28.0 0	27.0 0	25.0 0	12.0 0	19.00	16.0 0	18.0 0	18.0 0	24.0 0	21.0 0	26.0 0
मारकंडा नदी पौंटा साहिब	पी. एच.	7.02	6.12	8.93	7.78	8.75	8.15	8.07	8.03	7.90	7.47	7.57	7.10
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.00	7.60	7.60	7.10	7.40	8.00	8.50	7.90	8.20	8.10	8.20	7.80
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	0.80	1.40	1.20	1.40	1.60	1.60	1.40
	टी. सी.	18.0	20.0	21.0	18.0	8.00	16.00	14.0	16.0	14.0	28.0	25.0	24.0

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	(एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
मारकंडा नदी उ/धा काला अम्ब	पी. एच.	7.42	6.48	8.13	7.96	8.15	8.08	8.15	7.36	7.94	7.43	7.76	8.38
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.30	7.80	7.80	7.30	7.50	7.90	8.00	7.70	8.30	8.40	8.50	8.00
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.80	1.40	1.20	1.20	1.00	1.20	1.20	1.40	1.60	1.60	1.40	1.20
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	35.0 0	25.0 0	29.0 0	20.0 0	22.0 0	18.00	19.0 0	17.0 0	16.0 0	25.0 0	26.0 0	25.0 0
मारकंडा नदी नी /धा काला अम्ब/ह् रियाणा सीमा	पी. एच.	7.58	6.60	8.98	8.72	7.12	8.32	8.21	8.12	8.10	7.51	7.66	8.46
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.20	7.60	7.60	7.10	7.30	7.70	7.90	7.50	8.10	8.30	8.20	7.90
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.50	1.40	1.60	1.40	1.20	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60	1.40	1.40
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	29.0 0	26.0 0	25.0 0	20.0 0	14.0 0	22.00	22.0 0	18.0 0	20.0 0	29.0 0	28.0 0	26.0 0
गिरि नदी उ/धा सी आई माईन्स	पी. एच.	7.54	6.18	8.13	7.52	7.14	8.73	8.16	7.29	7.20	7.88	7.64	8.42
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.60	8.40	8.40	7.80	7.70	8.20	8.20	8.20	8.50	8.00	8.20	8.00
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	14.0 0	18.0 0	22.0 0	15.0 0	18.0 0	20.00	16.0 0	18.0 0	18.0 0	14.0 0	13.0 0	15.0 0
गिरि नदी नी /धा सतौण	पी. एच.	7.39	6.35	8.85	7.75	7.32	8.74	8.25	7.12	7.30	7.10	7.69	7.92
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.40	7.80	7.80	7.70	7.60	8.30	8.10	8.00	8.30	7.90	8.00	7.90
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.40	1.20	1.60	1.40	1.40	1.40	1.60
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	14.0 0	16.0 0	15.0 0	16.0 0	16.0 0	19.00	18.0 0	20.0 0	20.0 0	15.0 0	16.0 0	16.0 0
रेणुका झील	पी. एच.	7.52	6.40	9.12	6.92	7.96	8.23	8.31	7.36	7.39	7.23	8.01	7.12
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	6.60	5.90	5.90	6.70	6.60	6.50	6.00	2.80	5.20	5.90	6.10	6.20
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.60	1.80	2.00	1.80	1.60	2.00	2.40	5.40	2.50	2.40	2.00	2.00
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	27.0 0	36.0 0	34.0 0	22.0 0	18.0 0	26.00	25.0 0	30.0 0	24.0 0	14.0 0	44.0 0	36.0 0

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

उ/ धा सलापड़, सतलुज नदी	पी. एच.	8.46	7.34	8.02	8.34	8.06	8.4	7.51	8.2	7.76	8.4	8.36	8.29
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.2	9.5	8.9	9.2	9.4	9	9.6	8.9	9.5	8	9.2	9.7
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	280	170	280	130	280	240	170	220	180	240	130	180
नी/ धा सलापड़, सतलुज नदी व्यास नदी से मिलने के बाद	पी. एच.	8.54	7.65	8.14	8.08	8.4	8.09	7.56	8.11	7.7	8.6	8.1	7.85
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.4	9.6	9	9.2	9.6	9	9.5	8.7	9	8	9.2	9.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	240	180	180	180	350	280	240	280	170	280	170	240
व्यास नदी देहरा पावर हाउस से बाहर	पी. एच.	8.46	8.05	7.68	8.24	8.44	8.26	6.78	8.53	7.81	8.95	8.2	8.2
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.1	9.0	9.3	9.4	9.4	9.1	9.9	9.2	8.7	9.1	9.2	9.9
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	110	140	110	70	170	140	130	180	130	220	110	130
नी/ धा बिलासपु र, गोबिन्द सागर	पी. एच.	8.46	8.11	8.19	8.3	8.31	7.93	8.01	8.1	7.8	8.44	8.11	7.35
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.1	9.3	8.7	9.4	9.2	8.9	9.7	8.9	9.2	8.7	9	9.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.5	0.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	350	350	540	350	540	350	350	540	280	540	350	350
व्यास नदी उ/ धा मण्डी	पी. एच.	8.23	8.43	7.68	7.96	8.17	8.04	7.86	8.08	7.5	8.15	8.33	7.65
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.5	8.8	8.7	10.2	9.2	9.9	9	9.7	11.4	11.2	11.1	9.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	920	280	130	130	220	180	140	170	130	140	94	110
व्यास नदी नी / धा	पी. एच.	8.08	8.47	7.38	7.63	8.08	7.98	7.97	8.1	7.42	7.54	8.26	8.73
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.4	9.1	7.8	10.5	8.4	10	9.5	9.8	12.2	11.1	8.9	9.8

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

मण्डी	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	920	350	170	220	280	350	180	220	180	240	170	350
रीवालसर र झील	पी. एच.	8.20	7.3	7.25	7.55	7.26	7.34	6.86	8.03	7.84	7.75	8.17	7.64
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	5.6	3.1	2.7	6.2	2.8	2.4	5.6	7.6	5.1	6.2	3.8	4.2
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	12	4	8	5.6	11	1.8	12	39.5	5.2	4	3	0.8
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	160 0	920	160 0	920	920	920	160 0	≥24 00	1600	920	540	540
नी / धा मण्डी, सुकेती खड्ड	पी. एच.	8.56	8.06	8.37	7.62	7.94	7.84	8.29	8.07	8.15	8.46	8.59	8.18
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.5	7	7.4	7.6	7.3	8.4	8.4	10.1	11.2	10.6	10.2	8.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.4	0.9	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	160 0	540	160 0	280	540	540	540	280	130	240	280	350
व्यास नदी उ/ धा पण्डोह डैम	पी. एच.	8.13	7.88	7.7	7.55	7.89	8.19	7.69	8.26	7.73	8.13	8.09	7.86
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.7	9	8.7	10.3	9.1	9.1	9.8	10.3	9.5	11.4	10.6	8.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	280	180	170	140	220	180	140	140	140	130	110	140
व्यास नदी नी / धा पण्डोह डैम	पी. एच.	8.18	7.88	7.76	7.41	7.9	8.2	7.64	8.12	7.49	8.04	8.45	7.68
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.8	8.4	8.1	9.7	7.9	9.6	10	10.2	11.2	11.3	11.2	9.2
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	160 0	280	240	170	280	240	280	170	170	180	140	170
व्यास नदी नी/धा औट,	पी. एच.	8.15	7.79	7.7	7.91	7.95	7.99	7.65	8.17	7.51	7.89	8.23	7.82
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.0	9.1	9.9	8.8	9	8.7	8.9	8.1	11	9.3	9.3	8.9
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	180	130	94	110	140	140	110	130	110	130	110	180
सैंज नदी नी/ धा लारजी	पी. एच.	8.1	7.82	7.78	7.85	8.23	7.85	8.16	7.74	7.14	7.53	8.23	7.81
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.9	9.4	9.8	9	9.2	8.5	8.7	7.8	10.9	9.8	8.9	8.7
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	220	170	110	94	180	170	130	180	140	140	130	170
पार्वती नदी उ/धा मनीकर्ण	पी. एच.	8.13	7.53	8.1	8.02	8.1	7.41	8.01	8.06	7.83	7.5	8.16	8.27
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.3	9.8	9.6	9.3	9.1	9.6	9.7	9.1	10.2	9.5	9.3	9.5
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	140	110	94	63	140	110	94	130	79	70	49	63
पार्वती नदी नी/धा मनीकर्ण	पी. एच.	8.03	7.55	7.61	7.91	8.39	7.47	7.76	7.8	7.7	7.82	8.08	7.92
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.2	9.6	9.2	9.5	9	9.6	9.7	8.9	10.3	9.4	9.2	9.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	170	130	130	79	170	130	130	140	94	130	79	110
ब्यास नदी उ/धा मनाली,	पी. एच.	8.28	7.73	7.98	7.87	8.16	7.79	7.9	8.09	7.21	7.56	8.02	7.68
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.9	9.2	9.8	8.5	7.5	8.3	8.9	8.8	11	10.6	10	8.9
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	130	140	140	130	240	94	110	130	94	63	63	63
ब्यास नदी नी /धा मनाली,	पी. एच.	8.0	7.71	7.8	7.71	7.89	7.64	7.97	8.03	7.17	7.86	7.78	7.47
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.8	9.1	9.7	8.6	7.9	8.5	8.9	8.6	11	10.6	9.9	8.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	220	240	350	280	350	180	180	180	140	170	79	130

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

ब्यास नदी उ/धा कुल्लू	पी. एच.	8.18	8.17	7.78	7.83	8.03	7.81	7.26	7.93	8.18	8.12	7.79	8.28
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.0	9.6	9.1	8.5	7.6	8.7	9.1	8.6	11.2	8.9	9.9	9.5
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	220	220	220	140	220	170	280	220	170	130	140	170
ब्यास नदी नी/धा कुल्लू	पी. एच.	8.22	8.02	7.52	7.84	7.8	7.61	8.16	8.33	7.95	8.16	7.83	8.17
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.1	9.6	9.1	8.3	7.5	8.6	8.9	8.5	11.2	8.9	9.8	9.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	350	350	280	240	280	280	350	350	240	180	180	180
पार्वती नदी भुत्तर में व्यास नदी से मिलने से पहले	पी. एच.	7.26	7.68	7.49	7.52	8.18	6.84	7.63	8.01	7.85	7.78	8.2	7.8
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.4	9.4	9	9.1	9.4	9.5	8.3	8.6	10.2	8.3	8.5	9.1
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	240	220	170	220	180	220	220	280	220	170	130	180
सतलुज नदी उ/धा तत्तापान	पी. एच.	8.46	8.08	8.2	7.6	8.44	7.82	7.43	7.79	7.76	8.58	7.88	8.31
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.2	9.2	9.3	9.5	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	280	180	240	180	350	240	--	--	--	--	--	--
सतलुज नदी उ/धा रामपुर	पी. एच.	8.07	8.06	8.18	7.59	7.59	8.15	8.19	8.51	7.84	8.63	8.14	8.05
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.3	9.3	9.4	9.1	9.2	9.3	9.6	9.4	9.5	9.6	9.5	9.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	110	280	280	170	350	350	--	--	--	--	--	--
सतलुज नदी नी/धा	पी. एच.	8.33	8.15	8.25	7.7	8.2	8.02	8.09	8.07	7.49	8.52	8.09	8.15
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.2	9.6	9.3	9.4	9.6	9.4	9.4

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

रामपुर	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	540	350	350	280	540	350	--	--	--	--	--	--
वांगटु ब्रिज सतलुज नदी नाथवा झाकड़ी में	पी. एच.	8.65	8.26	8.2	8.07	8.64	8.05	7.87	8.08	7.61	8.07	8.08	8.17
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.6	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	9.7	9.3	9.6	9.6	9.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	170	170	110	140	240	170	--	--	--	--	--	--
बासपा नदी उ /धा रीजरवॉय र कुप्पा	पी. एच.	8.36	8.04	8.34	8.06	7.75	7.65	8	8.1	7.68	8.25	7.94	7.84
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.4	9.4	9.3	8.6	8.5	8.9	9.8	9.6	9.7	9.3	9.6	9.7
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	140	140	140	130	180	220	--	--	--	--	--	--
सतलुज नदी स्पीति नदी से खाव में मिलने से पहले	पी. एच.	8.66	8.09	8.21	7.76	8.6	7.98	8.35	8.14	7.91	--	8.2	8.66
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.8	9.9	9.8	9.7	9.6	9.8	10.1	9.9	10.1	--	9.8	9.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	130	110	130	180	280	180	--	--	--	--	--	130
स्पीति नदी खाव में सतलुज नदी से मिलने से पहले	पी. एच.	8.72	8.11	8.15	7.18	8.75	7.73	7.79	8.37	7.85	--	8.27	8.72
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.8	9.9	9.8	9.9	9.8	9.9	10	10	10.2	--	9.9	9.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	79	70	70	94	110	63	--	--	--	--	--	79
सतलुज नदी खाव में स्पीति नदी से मिलने के बाद	पी. एच.	8.69	8.13	8.18	7.65	8.76	7.89	8.31	7.68	8.06	--	8.29	8.69
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.8	9.9	9.8	9.8	9.6	9.8	10.1	9.9	10.1	--	9.9	9.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	--	0.1	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन०)	110	130	110	170	180	79	--	--	--	--	--	110

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	/ 100 मी०ली०)												
रावी नदी नी / धा चम्बा	पी. एच.	--	7.83	7.84	7.93	8.21	6.57	8.64	8.63	8.54	7.35	8.05	8.45
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	--	8.9	8.8	7.9	8.8	8.5	8.6	8.6	8.8	9.1	8.7	8.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	--	0.3	0.2	0.4	0.3	0.9	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
रावी नदी उ/ धा चम्बा	पी. एच.	7.87	7.8	7.39	8.15	8.95	8.67	8.73	8.55	7.26	7.71	8.32	8.42
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	9.0	8.7	7.8	8.6	8.6	8.7	8.5	8.7	9	8.6	8.7	8.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.3	0.1	0.6	0.2	0.8	0.3	0.5	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
स्युल नदी नी/धा सुरैगाणी	पी. एच.	8.63	7.89	8.11	8.41	8.48	8.55	8.92	8.96	7.96	8.15	8.37	7.64
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.6	8.7	7.5	8.1	8.8	8.1	8.1	8.3	8.4	8.6	10	8.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.8	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.7	0.5
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
चमेरा -1 रेजरवॉय र	पी. एच.	7.98	7.78	8.21	8.73	8.06	8.19	8.6	8.72	7.78	7.16	8.16	7.38
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.1	8.8	7.9	8.1	8.6	8.6	8.2	8.6	8.5	8.5	8.9	8.7
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.4	0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
माधोपुर हैड वर्कस रावी नदी	पी. एच.	7.71	7.51	7.97	8.75	8.4	8.46	8.3	8.95	7.65	8.15	8.25	8.34
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.8	7.2	7.8	7.8	7	6.9	7.2	8.7	7.9	9.2	7.8	7.9
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	5.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
खजीयार	पी. एच.	7.36	6.62	7.14	7.27	8.62	7.92	7.76	7.26	7.16	6.6	7.12	6.45

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

झील	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.5	6.1	6.7	7.1	7.1	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.9	6.8
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	18	65	18	26	5.5	3	32	18	8	9	14	4
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
पौंग डैम झील पौंग गांव में	पी. एच.	8.4	8.86	8.58	9.25	8.95	8.38	8.38	8.34	7.9	7.74	8.24	8.35
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.8	8.2	7.9	6.8	7.5	8.9	6.8	7.3	7.5	6.7	7.1	7.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.0	0.5	1.4	0.8	1.8	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	1	0.6
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
नी/ धा पौंग डैम व्यास नदी	पी. एच.	8.28	8.86	8.08	8.02	8.39	8.46	8.38	7.84	7.55	8.03	8.06	8.85
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.9	8.5	7.6	7.2	7.2	8.6	7.1	7.2	5.6	7.1	7.9	7.1
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.5	0.2	0.5	0.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.4	0.2	0.8	0.6
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
नी/ धा देहरा व्यास नदी	पी. एच.	8.14	8.35	8.4	7.88	8.6	8.34	8.44	8.49	8.22	6.65	8.28	8.65
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.2	7.8	7.9	8.3	7.8	7.5	7.6	7.7	7.8	8.2	7.9	7.6
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.5	0.3	0.5	2	0.8	0.8	0.4	0.6	1.8	1.2	0.8	1
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
नी/धा जय सिंहपुर व्यास नदी	पी. एच.	8.65	8.45	7.64	8.57	8.84	8.45	7.57	8.39	8.5	8.85	7.42	8.84
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	7.9	7.2	8.2	7.4	7.2	7.5	6.8	7.9	10.5	7.9	7.3	7.4
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	1.2	0.4	0.6	1.8	0.9	0.8	0.6	0.4	1.4	0.8	0.8	0.2
	टी. सी. (एम० पी० एन० / 100 मी०ली०)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
नी/ धा आलमपुर व्यास नदी	पी. एच.	9.1	8.42	7.5	8.31	8.35	8.62	8.99	8.76	7.75	8.48	7.68	8.16
	डी. ओ. (मी० ग्रा०/ली०)	8.0	7.4	8.4	7.6	7.4	7.1	6.9	8.2	10.2	8.2	7.4	7.5
	बी. ओ. डी. (मी० ग्रा०/ली०)	0.8	0.2	0.6	1.8	1.2	0.8	0.6	0.4	1.4	0.8	0.9	0.3

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति

	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
नी/ धा थुरल न्युगल खड्ड	पी. एच.	8.01	7.82	7.84	8.54	8.54	8.92	7.6	8.54	8.59	7.72	7.7	8.4
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	7.5	7.2	7.8	7.7	7.9	7.2	7.2	7.3	9.7	9.1	7.9	7.9
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.5
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
बिनवा नी/धा पपरोला, बैजनाथ	पी. एच.	7.35	7.73	8.24	6.27	8.28	8.01	8.63	8.65	7.35	8.59	7.85	7.86
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	9	6.8	7.6	6.8	7.7	7.1	7.8	7.1	9.8	9.1	8.2	7.5
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
सतलुज नदी नी/धा भाखडा	पी. एच.	8.45	8.31	8.12	9.71	8.74	8.73	9.39	8.89	8.04	8.45	8.39	8.7
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	9.0	8.8	6.8	7.5	6.1	6.8	6.4	7.8	6	5	5	7.5
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.7	0.4	0.3
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
स्वान नदी नी/ धा संतोखग ढ	पी. एच.	7.35	8.46	7.95	9.54	9.16	8.75	8.59	8.12	7.85	7.81	8.65	8.84
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	6.0	6.2	5.2	6.1	5.8	5	5.8	8	5.8	5.4	5.4	6.4
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	1.5	3	0.2	1.5	1.5	11.5	0.5	12	8.5	0.4	1.6	2
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
रावी नदी नी/ धा डैम चमेरा-। ।।	पी. एच.	7.39	7.63	8.36	8.15	8.12	8.45	8.05	8.79	7.48	8.21	8.85	8.45
	डी. ओ. (मी0 ग्रा0/ली0)	9.1	8.9	8.1	8.3	8.5	8.8	8.8	8.5	8.8	8.6	8.8	8.9
	बी. ओ. डी. (मी0 ग्रा0/ली0)	0.4	0.2	0.2	0.8	0.6	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.8
	टी. सी. (एम0 पी0 एन0 / 100 मी0ली0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य नीतियां एवं कार्यकलाप की वस्तुस्थिति
राज्य बोर्ड की प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण :

राज्य बोर्ड की 4 प्रयोगशालाएँ में जल, व्यर्थ जल, ठोस अपशिष्ट, वायु और जीव सर्वेक्षण के नमूनों का विश्लेषण होता है। वर्ष 2014-15 के दौरान में नमूनों की विश्लेषण सूचियां निम्नलिखित है

राज्य बोर्ड की प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण

क्र० स०	नमूनों की किस्म		विश्लेषण किये गए नमूनों की संख्या			
			परवाणू	पॉवटा साहिव	जसूर	सुन्दरनगर
1	जल एवं अपशिष्ट जल	ट्रेड ईफ्ल्युन्ट	813	458	297	233
		नदी पर्यवेक्षण/ अध्ययन आदि	752	265	442	826
2	मिट्टी / ठोस अपशिष्ट		10	5	7	3
3	वायु पर्यवेक्षण		448	76	132	465
4	व्यवसायिक		--	24	65	67
5	शिकायत		--	--	--	--
6	जीव- पर्यवेक्षण		--	20	--	--
7	ध्वनि- पर्यवेक्षण		--	--	--	30
8	परिवेश वायु प्रबोधन नाम्प प्रोजैक्ट	SO ₂ - 1622	SO ₂ - 2945	SO ₂ - 2129	SO ₂ - 1329	
		NO _x - 1622	NO _x - 2945	NO _x - 2129	NO _x -1329	
		SPM - 816	SPM - 1532	SPM - 1078	SPM - 672	
		RSPM- 816	RSPM - 1532	RSPM - 1078	RSPM - 672	

क्र० स०	नमूनों की किस्म	विश्लेषण किये गए नमूनों की संख्या			
		शिमला	बद्दी	मनाली	उन्ना
1	परिवेश वायु प्रबोधन नाम्प प्रोजैक्ट	SO ₂ - 1377	SO ₂ - 2265	SO ₂ - 1260	SO ₂ - 1122
		NO _x - 1377	NO _x - 2265	NO _x -1260	NO _x - 1122
		SPM - 704	SPM - 1154	SPM - 659	SPM - 753
		RSPM- 704	RSPM -1154	RSPM - 659	RSPM -753

हिमाचल प्रदेश में वाहन पर्यवेक्षण :

राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत राज्य में वाहनों का समय-समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है। राज्य में वाहन प्रदूषण को नियन्त्रण के लिये कानून के प्रावधानों को प्रभावी तौर से लागू करने की आवश्यकता है जिससे कि प्रदेश की वायु गुणवत्ता प्रभावित न हो।

अध्याय –5

प्रदूषण नियन्त्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली

राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के अन्तर्गत और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत चिरस्थायी प्रगति के लिए प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कार्य करता है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत बड़े उद्देश्यों को परिपूर्ण करने हेतु और सतत विकास की गति के लिए यह भी सुनिश्चित करता है कि विकास पर्यावरण के साथ सामंजस्य में हो।

राज्य बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियमित निरीक्षण करवाए जाते हैं एवं उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति शर्तों की अनुपालना एवं प्रदूषण नियन्त्रण को सुनिश्चित बनाया जाता है।

5.1 सम्मति प्रक्रिया:

उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत, सभी औद्योगिक इकाईयों, पर्यटन परियोजनाओं, खनन इकाईयों, मल शोधन संयंत्र इत्यादि द्वारा राज्य बोर्ड से सम्मति/अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

सम्मति प्रक्रिया, अनुमति स्थापना और/या चलाने के लिए किसी भी विकास परियोजना को जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) 1974 की धारा 24 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) 1981 धारा 21 के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से परिष्कृत की जाती है :-

- (क) किसी भी प्रकार कि इकाई को स्थापित एवम चलाने की प्रक्रिया, या कोइ उपचार के प्रबन्धन की सुविधा, या बढोतरी या अतिरिक्त, जोकि मल वहिस्राव या वाणिज्य उपचार प्रक्रिया, या मल निकासी सुविधा इस तरह के मल /वहिस्राव के निकासन का प्रबन्धन हेतु।
- (ख) मल के निर्वहन के लिए किसी भी नए या बढोतरी निकासी के प्रयोग हेतु।
- (ग) किसी भी नए मल के निर्वहन की शुरूआत करने हेतु।
- (घ) वायु प्रदुषण नियन्त्रण रोकने हेतु क्षेत्र मे किसी भी औद्योगिक संयन्त्र स्थापित या संचालन हेतु।

सहमति तंत्र की प्रक्रिया एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न कारणों का संक्षिप्त विवरण नीचे है :-

उद्योगों की स्थापना के लिए सम्मति पर्यावरण प्रदूषण की अपेक्षित क्षमता, और प्रस्तावित प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली के अभियान्त्रिक प्रारूप के विवरण की जांच पड़ताल के बाद प्रदान की जाती है। स्थापना के लिए सम्मति प्रदान करते समय उद्योग के प्रकार के अनुसार प्रदूषण को नियन्त्रण करने की शर्तें लगाई जाती है। इकाई को चलाने हेतु सम्मति देने से पूर्व स्थापना सम्मति शर्तों की समीक्षा की जाती है और स्थापना सम्मति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। चलाने के लिए सम्मति की वैधता प्रायः वित्तीय वर्ष की होती है और इसे भी इस शर्त के आधार पर प्रदान किया जाता है कि उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाएगा तथा वायु, प्रवाह/वहिस्राव के लिये निर्धारित मानकों का पालन किया जायेगा और प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली की गुणवत्ता एवं कार्य प्रणाली नियमित रूप से जांच की

जाती है। उन इकाईयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है जो प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते और उनके उत्पादन को बन्द करवाया जाता है और उनकी बिजली आपूर्ति बन्द करवाई जाती है। जब तक इकाई पूर्ण रूप से प्रदूषण नियन्त्रण करने तथा मानकों का पालन करने की स्थिति में नहीं आती है तब तक विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध करने के आदेश जारी रहते हैं। प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली की गुणवत्ता एवं अनुपालना के अनुसार सम्मति का नवीनकरण किया जाता है।

वर्ष 2014 – 2015 के दौरान कार्यकलापों के अन्तर्गत हासिल की गई उपलब्धियां का ब्यौरा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974, एवम् वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत नीचे दिये गए तालिका – 5.1 में है:—

तालिका –5.1 सम्मति प्रबन्धन (2014–15)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2014–15में प्रदान की गई		वर्ष 2014–15में अस्वीकृत की गई		31-03-2015 तक संचित
		मु0 का0	क्ष0 का0	मु0 का0	क्ष0 का0	
1.	स्थापित करने के लिये सम्मति					
	(क) जल अधिनियम, 1974	12	162	1	5	2295
	(ख) वायु अधिनियम, 1981	4	47	1	1	970
	(ग) दोनों अधिनियमों में	306	448	15	1	8148
2.	चलाने के लिये सम्मति					
	(क) जल अधिनियम, 1974	10	158	1	9	2161
	(ख) वायु अधिनियम, 1981	3	39	—	—	842
	(ग) दोनों अधिनियमों में	164	318	17	3	7362
3.	अन्नापति प्रमाण पत्र जिनकी प्रदूषण रहित/छूट प्राप्त उद्योग श्रेणी।	0	0	—	—	1138
4.	सम्मति नवीनकरण					
	(क) जल अधिनियम, 1974	39	313	2	—	NA
	(ख) वायु अधिनियम, 1981	12	90	—	1	NA
	(ग) दोनों अधिनियमों में	1042	1131	78	23	
5.	सम्मति शुल्क (रूपयों में) *अस्थायी समाधान लेखा परीक्षा के बाद।	17,27,12,550.50*/-				

6.	औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, धूल उत्सारण भू एवं जल भूतल के साथ मीनार्स और नाकम के नमुने लिये गये।	लिए गए नमूनों की संख्या			
		जल/वहि स्राव	वायु/उत्सारण	ठोस अपशिष्ट	गाड़ियों की जांच की गई।
		1756	1731	11	1505
7.	जल व वायु अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं रखरखाव) अधिनियम 1998/2003 के अन्तर्गत किये गए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।	औद्योगिक इकाइयों की संख्या		वास्तविक निरीक्षण किये गए	
		10138		12417	
8.	सार्वजनिक शिकायतें	प्राप्त		निपटान	
		289		234	
9.	नोटिस एवं निर्देश	जारी किए गए		लागू/पालन करवाया	
	(i) नोटिस जारी किये गए।	198		198	
	(ii) जल अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये।	83		83	
10.	उद्योगों की संख्या जिन्होंने पर्यावरण समीक्षा रिपोर्ट जमा की।	1407			

5.2 निगरानी एवं पर्यवेक्षण :

उद्योगों में लगाये गये प्रदूषण नियन्त्रण की कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी उसकी पर्यवेक्षण गुणवत्ता एवं दक्षता जानने के लिये की जाती है। राज्य बोर्ड ने सीमेन्ट इकाइयों में आनलाइन वास्तविक निगरानी संयंत्र लगाने की भी पहल की है।

5.2.1 औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण :

यह कार्य दस क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यावरण अभियन्ताओं एवं सहायक पर्यावरण अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014-2015 निगरानी एवं पर्यवेक्षण किए गए और इस संदर्भ में प्रमुख उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी है:-

क्रम संख्या	विवरण	कुल संख्या
1.	जल प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली की संख्या (संचयी):	3176
2.	वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली की संख्या (संचयी):	2923
3.	वर्ष 2014–2015 में किये गये निरीक्षण की संख्या:	12417
4.	वर्ष 2014–2015 में एकत्रित किये गये जल, क्षेप्य जल एवं उत्सारण उसके अन्तर्गत परिवेश वायु और कोलाहल के नमूनों की संख्या:	3498
5.	निरीक्षण की गई गाड़ियों की संख्या:	1505

5.2.2 विद्युत परियोजना निगरानी :

राज्य बोर्ड ने पनबिजली परियोजनाओं की समीक्षा हेतु और मलबे के प्रबन्धन के लिए फोटो मोनिटरिंग (Photo Monitoring) शुरू की है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने पन बिजली परियोजनाओं 15 % पानी के बहाव के लिए निरन्तर प्रवाह मापक यंत्र लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की है। कुछ परियोजनाओं ने यह यंत्र लगा लिया है एवं शेष कार्यशील परियोजनाओं में लगवाया जा रहा है।

5.3 प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण:

नियन्त्रण प्रणालियों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण स्वरूप प्रदूषित इकाईयों पर लगातार दबाव बनाये रखने से प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों को उचित प्रकार से चलाना सुनिश्चित बनाया गया है। इस वर्ष के दौरान राज्य बोर्ड ने नए उद्योगों में 215 नये प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण (जल/वायु) लगवाये गए जिन्हें चलाने हेतु सम्मति प्रदान की गई। इसके इलावा यह भी सुनिश्चित किया गया कि राज्य बोर्ड के निर्देश से उपचार तृतीयक स्तर परिचय औद्योगिक इकाईयों पारंपारिक भौतिक रासायनिक और जैविक उपचार सयंत्र विशेष रूप से बद्दी- बरोटीवाला में लगवाए गए।

इसी प्रकार पहले से लगे उद्योगों में 246 में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों में सुधार करवाए गए। इस आशय हेतु उद्योगों की विद्युत आपूर्ति बन्द करवाई गई। इसके इलावा यह भी सुनिश्चित किया गया कि समस्त स्थापित उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण सुचारु रूप से चल रहे थे जोकि नियमित निरीक्षण का परिणाम था।

5.4 पर्यावरण प्रभाव निर्धारण :

यद्यपि किसी भी विकास कार्य के कारण पर्यावरण अभिघटन क्षमता का मूल्यांकन करना और पर्यावरण प्रबन्धन योजनाओं को उद्योगों से प्राप्त किया जाता है और इसका अध्ययन उद्योग स्थापित/चलाने के लिये सम्मति/सम्मति नवीकरण जारी करने के समय जल अधिनियम, 1974 या वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ई. आई. ए.) अधिसूचना, 2006 (संख्या: एस ओ-1533 (ई) दिनांक 14-09-2006) के अनुसार स्वीकृति लेना अनिवार्य बनाया है। इस स्वीकृति में राज्य बोर्ड की भूमिका केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई आयोजित करने तक सीमित है।

वर्ष 2014–2015 में राज्य बोर्ड ने नई इकाईयों को जल और वायु अधिनियमों में 979 सम्मति स्थापना और 692 सम्मति चलाने के लिए विस्तार सहित जारी की। नई इकाईयों को पर्यावरण प्रभाव और प्रबन्धन योजनाओं के उचित परीक्षण के बाद जल और वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति जारी की जाती है।

5.5 विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरण निगरानी:

विद्युत परियोजनाओं में पर्यावरण परीक्षण को शामिल करते हुए राज्य बोर्ड ने यह पाया कि विद्युत परियोजना पर्यावरण निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए अपने संसाधनों से संचालन करना मुश्किल है। जन महत्व को ध्यान में रखते हुए जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 में यह व्यवस्था पर्यावरण अनुमति हेतु अनिवार्य है। यह जरूरी है कि सामयिक परीक्षण किया जाए और नियमित निरीक्षण से विद्युत परियोजनाओं के कार्य कलापों से जल और वायु पर तथा अपशिष्ट प्रबन्धन धरा पर कुप्रभाव न डालें। इस प्रकार राज्य बोर्ड प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण/पर्यावरण प्रबन्धन योजना का मुल्यांकन करने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण प्रबन्धन योजना के पर्यवेक्षण का व्यय जिस में निरीक्षण जल और वायु गुणवत्ता शामिल है को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण/पर्यावरण प्रबन्धन योजना व्यय में समायोजित किया गया हो। वर्तमान में अनुमोदित 26 परियोजनाएं नामतः हैं 1. पार्वती (चरण दो) विद्युत परियोजना, जिला कुल्लू 2. कोल बांध विद्युत परियोजना, जिला बिलासपुर 3. चमेरा (चरण तीन) विद्युत परियोजना, जिला चम्बा 4. कड़छम बांगटू विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर 5. रामपूर विद्युत परियोजना, जिला शिमला/कुल्लू 6. बुधिल विद्युत परियोजना, जिला चम्बा 7. सावडा कुडडू विद्युत परियोजना, जिला शिमला 8. सोरंग विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर 9. टिडोंग विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर और 10. उहल चरण –3 विद्युत परियोजना, जिला मण्डी, हि0 प्र0. 11 टांगनू रोमाई – 1 विद्युत परियोजना, रोहडू जिला शिमला 12 सेंज विद्युत परियोजना, कूल्लू जिला कूल्लू 13 कूट विद्युत परियोजना, रामपूर, जिला शिमला और 14. वडागॉव विद्युत परियोजना, कूल्लू जिला कूल्लू, 15 इन्टीग्रेटिड कशांग विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर, 16 शॉगटॉग करछम जल विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर, 17 अप्पर नैन्ती जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 18 धमवाडी सुन्दा जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 19 पॉवडीताल लहासा जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 20 लोअर नैनती जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 21 सुमेज जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 22 जोगनी जल विद्युत परियोजना, जिला शिमला 23 रौड़ा जल विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर 24 सेल्टी मुसरंग जल विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर 25 वॉगर हौमटे जल विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर 26 चॉजू– 1 जल विद्युत परियोजना, जिला चंबा हिमाचल प्रदेश

5.6 सार्वजनिक शिकायतें एवं प्रतिवेदन :

राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय केवल उद्योगों के कार्य कलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कार्य में ही कार्यरत नहीं है बल्कि पर्यावरण गुणवत्ता एवं उसके प्रभाव का भी ध्यान रखते हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जन शिकायतों के निपटान हेतु जन सम्पर्क बनाए रखते हैं। वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त 234 सार्वजनिक शिकायतों पर प्रत्युपाय कार्यवाही की गई।

5.7 जल उपकर प्रबन्धन:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में जल उपकर लेने का प्रावधान है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट श्रेणियों की इकाईयों से उपकर लिया जाता है जो जल का प्रयोग करती है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश में जल प्रयोग वाली इकाईयां औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों की तुलना में बहुत कम है यद्यपि भारत सरकार के अधिनियम को राज्य बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 की इस अधिनियम से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धियों को तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका –5.2

उपकर निर्धारण संख्या			
(i)	औद्योगिक	950	
(ii)	स्थानीय निकाय	56	
(iii)	कुल जोड़	1006	
कुल नोटिस			
(i)	औद्योगिक/ स्थानीय निकायों	410	
(ii)	औद्योगिक/ स्थानीय निकायों की अनुपालना की सूचना	209	
उपकर की राशि (01-04-2014 से 31-03-2015)			
(i)	निर्धारण रू	1,03,03,671.00	
(ii)	प्राप्त किये	76,79,496.00*	
(iii)	भारत सरकार को प्रेषित	72,10,453.00	
(iv)	भारत सरकार से प्राप्त किये	...	

* लेखा परीक्षा के बाद सुलह करने के लिए अनंतिम विषय।

5.8 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन:

5.8.1 जीव-औषधि अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्थालन) नियम, 1998 :

31 मार्च, 2015 तक राज्य बोर्ड ने 718 स्वास्थ्य संस्थाओं को जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हस्थालन नियम, 1998 के अन्तर्गत चिह्नित किया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, 340 स्वास्थ्य संस्थाओं को वर्ष 2014-17 के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया।

5.8.2 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हस्थालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008

31 मार्च, 2015 तक राज्य बोर्ड ने परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली 2773 इकाईयों को सूचीबद्ध किया है। 31 मार्च, 2015 तक इन इकाईयों में से 2311 इकाईयों चल रही हैं और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन, हस्थालन और सीमा पार संचलन नियम, 2008 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न कर रही हैं। सभी ऐसी इकाईयो को इस नियम के अन्तर्गत ऑनसाइट एवं सिक्वर्ड अपशिष्ट भंडारण के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। राज्य बोर्ड ने 2311 इकाईयों को प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी किये हैं। परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए सामुहिक अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा स्थल (टी.एस.डी.एफ) गांव मनीमाजरा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन में स्थापित किया गया है जो कि जून 2008, से चालू है। राज्य में परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाईयों द्वारा अब तक कुल 93594 MT तथा वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 18161 MT लैंडफिलेवल परिसंकटमय अपशिष्ट सामुहिक अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा स्थल (टी.एस.डी.एफ) निपटान हेतु भेजा जा चुका है।

5.8.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों, 2000 की कार्यान्वयन स्थिति:

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों, 2000 के उपबन्धों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कर्तव्यों को निभाया तथा इन नियमों के उपबन्धों की अनुपालना को सुनिश्चित किया। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट बना कर निश्चित समय में केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भेजी। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया तथा हिमाचल प्रदेश में सभी 56 स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण एवं परिवहन से सम्बन्धित अनुपालन आंशिक पाया गया है। यद्यपि दस स्थानीय निकायों, शिमला, सोलन, नाहन, कुल्लू/भुन्तर, मनाली, ऊना, कांगडा/नगरोटा, हमीरपुर, धर्मशाला एवं चम्बा ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित कर ली है परन्तु इन उपचार सुविधाओं का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है। किसी भी स्थानीय निकाय ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों, 2000 के अनुसार ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित नहीं की है।

राज्य बोर्ड ने उच्च अधिकारियों एवं शहरी विकास के प्रशासनिक विभाग, निदेशक, शहरी विकास और सभी जिलाधियों को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों, 2000 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत करवाया। इसके अलावा राज्य बोर्ड सभी स्थानीय निकायों को इन नियमों के उपबन्धों की अनुपालना करने के लिए लगातार दिशा निर्देश देता रहता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य बोर्ड ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित / प्रचालन करने के लिए एवं अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित / प्रचालन करने के लिए 16 आवेदन प्राप्त किए। राज्य बोर्ड ने विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त सभी आवेदनों को प्रक्रिया में लाकर अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापना हेतु क्रमशः सभी 16 प्राधिकार मंजूर किए। वर्ष 2014-15 के लिए प्राधिकार विवरण निम्नलिखित है

वर्ष 2014-15 के लिए आवेदन	
प्राप्त आवेदन अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने के लिए और अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए	अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा व निपटान स्थापित करने के लिए
कुल 16 नगर परिषद कुल्लु, नगर परिषद नाहन, नगर परिषद मंडी, कैटॉन्मेंट बोर्ड जतोग, नगर पंचायत भुंतर नगर पंचायत तलाई, नगर पंचायत सरकाघट, नगर पंचायत सुंदरनगर, नगर पंचायत नैना देवी, नगर पंचायत बिलासपुर, नगर पंचायत महतपुर, नगर पंचायत सुन्नी, नगर पंचायत रेवलसर, नगर पंचायत जोगिनदेरनगर, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन शिमला, म्यूनिसिपल काउंसिल घुमरवीन	कुल 16 नगर परिषद कुल्लु, नगर परिषद नाहन, नगर परिषद मंडी, कैटॉन्मेंट बोर्ड जतोग, नगर पंचायत भुंतर नगर पंचायत तलाई, नगर पंचायत सरकाघट, नगर पंचायत सुंदरनगर, नगर पंचायत नैना देवी, नगर पंचायत बिलासपुर, नगर पंचायत महतपुर, नगर पंचायत सुन्नी, नगर पंचायत रेवलसर, नगर पंचायत जोगिनदेरनगर, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन शिमला, म्यूनिसिपल काउंसिल घुमरवीन

शेष स्थानीय निकायों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध न करवाने पर प्राधिकार नहीं दिया गया।

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत मल उपचार संयंत्रों एवं मल प्रवाह स्थानीय निकायों द्वारा मल प्रवाह की जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत सहमति स्थिति:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, जल निवारण, प्रदूषण नियन्त्रण, जो कि जल गुणवत्ता के रख-रखाव या जीर्णोद्धार को पूरी तरह से बनाए रखने के लिये बनाया गया है, के अर्न्तगत मल निकासी परियोजना एवं मल प्रवाह उपचार संयंत्र व्यवस्था की जरूरत है ताकि मल प्रवाह बिना उपचार के जल स्रोतों में न मिल जाए। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 व 26 के अर्न्तगत सम्बन्धित प्राधिकारियों को किसी भी प्रकार के मल प्रवाह या गन्दा पानी प्रवाह के लिये राज्य बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अधिदेशात्मक है।

मल एवं मल उपचार संयंत्रों की व्यवस्था करवाना जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग और शहरी विकास विभाग का उत्तरदायित्व बनता है। राज्य बोर्ड की भूमिका केवल नियामक की है जिसमें प्रचालित मल उपचार संयंत्रों के निष्पादन का अनुश्रवण करना और इसके साथ साथ प्रचालित मल प्रबन्धन सुविधाओं की व्यवस्था के कार्य सम्पादन का अनुश्रवण करना शामिल है। सम्बन्धित विभागों को किसी भी

मल उपचार सुविधा को स्थापित करने / प्रचालित करने से पहले इसकी स्थापना / प्रचालन के लिए राज्य बोर्ड से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।

राज्य बोर्ड ने मल उपचार संयंत्रों जो कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत है, की स्थापना /परिचालन/नवीकरण हेतु प्राप्त किए गये सभी आवेदन पत्रों को प्रसंस्कृत किया और 11 मल उपचार संयंत्रों ऊना, जोन ए व बी जोन डी, गगरेट, ठेओग, बिलासपुर, नादौन, सुजानपुर जोन-1, रामपुर, (खोपरी, व चूहबाग) धर्मशाला, सोलन, जोन बी के लिए सहमति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके अलावा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अनुसार 3 स्थानीय निकायों नगर परिषद सरकाघट एमसी बिलासपुर, एनपी भोता को भी सहमति प्रदान की गई।

मल उपचार सुविधाओं एवं मल प्रवाह योजनाओं के तुरन्त संस्थापन एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों कार्यान्वयन के लिए, राज्य बोर्ड, प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य), प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के कार्यान्वयन की स्थिति को उनके दखल एवं आवश्यक आदेशों तथा इस कार्य के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर अवगत करवाता रहता है। राज्य बोर्ड ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बचे हुए शहरी इलाकों में भी मल उपचार संयंत्र स्थापित करने को कहा है। हिमाचल में मल उपचार संयंत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

एसटीपी/सेप्टिक टैंक की कुल संख्या ;	68
आपरेशनल	38 एसटीपी +3 सेप्टिक टैंक
सहमति के साथ	29
बिना सहमति	12
निर्माण के तहत	23 एसटीपी +4 सेप्टिक टैंक

एसटीपी का नाम (आपरेशन)		एसटीपी का नाम (प्रस्तावित या निर्माणाधीन)	
सहमति के साथ	सहमति के बिना	सहमति के बिना	सहमति के साथ
जोगिंदर नगर	सुन्दरनगर	सरकाघाट	रेवाल्सार
मनाली	पालमपुर	नगरोटा	सुन्नी
लंका बकेर कुल्लू	रीकोन्पीओ-	जोन -१ कांगड़ा	जोन-डी ऊना
रोहू चरण-I	जोन तृतीय, हमीरपुर	जोन द्वितीय, कांगड़ा	जोन ए बी ऊना
जोन 1 हमीरपुर	शीतला पुल, चंबा	जोन तृतीय, कांगड़ा	गगरेट

जोन द्वितीय, हमीरपुर	भर्गा चंबा	जोन द्वितीय, पौंटा	टियोग
जुब्बल -	टांडा मेडिकल कॉलेज	जोन तृतीय, पौंटा	
मेला मैदान, भुन्तर	ज्वालामुखी	देहरा	
शाराभ्हाई, भुन्तर -	मेहत्पुर डी	नार्कन्डा	
सन्जौली-	भगोट चम्बा	नुरपुर	
लालपानी	जोन -१ पौंटा	जोन द्वितीय सुजानपुर	
उत्तर निपटान-	एन आई टी हमीरपुर	जोन -2 सन्तोकगढ़	
ढली-		जोन -१ कोटखाई	
स्रोडन-		जोन द्वितीय कोटखाई	
समर हिल-		भागसुनाग	
खलीआर-		मेहत्पुर ऐ बी सी	
रघुनाथ का पधर-		अर्की	
नैना देवी		जोन -1 सन्तोकगढ़	
बदह कुल्लू		जोन -१ केलांग	
भूतनाथ कुल्लू		जोन द्वितीय, केलांग	
घूमरवीन		जोन तृतीय, केलांग	
रामपुर (खोपरी)			
रामपुर (चुहबाग)			
जोन -१ सुजानपुर			
धर्मशाला			
बिलासपुर,			
जोन सी, ऊना 2015			
जोन बी, सोलन			
नदौन			
29	12	21	6

वर्ष 2014-15 के दौरान मल उपचार संयंत्रों की निकासी से पानी के नमूने लिए गए। सम्बन्धित मल उपचार संयंत्रों की जलगुणवता को निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने के लिए और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की अनुपालना करने के लिए सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कारण बताओ ज्ञापन भेजे गए हैं।

पुनः चकित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम 2003 की कार्यान्वयन स्थिति :

पुनः चकित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम, 2003 4 फरवरी 2011 को संशोधित हो गये हैं और इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011 है। संशोधित नियमों के अर्न्तगतनुसार 2014-15 में 1 ईकाई पंजीकृत हुई है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट बना कर निश्चित समय में केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भेजी।

अध्याय – 6

पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मुकद्दमें और दोष सिद्धियाँ

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अपनी एक विधि शाखा है जिसमें एक विधि अधिकारी, एक सहायक विधि अधिकारी और एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण मुकद्दमों में बढोत्तरी के चलते सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण तथा जिला अदालतों, में मुकद्दमों की पैरवी हेतु वकीलों की नियुक्ति की गई है और उन्हें बोर्ड द्वारा अनूमोदित फीस जो बोर्ड द्वारा बोर्ड की 60 वीं बैठक दिनांक 06.01.2010 को निर्धारित कि गई हैं, उसके अनुसार अदा की जाती है। विधि शाखा में और कर्मचारी रखने हेतु बोर्ड विचारत है।

बोर्ड के वकीलों को समय-समय पर सभी प्रकार की सहायता उत्तर/ लिखित विवरण बनाने के लिए तथा गवाही/ रिकार्ड पेश करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है। जहां आवश्यकता हो वहां महत्वपूर्ण केसों में विधि स्टाफ, न्यायालय में स्वयं उपस्थित रह कर अनुगमन करता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रिय कार्यालयों व प्रयोगशालाओं से न्यायिक मामलों में सूचना इकट्ठी की जाती है। बोर्ड की सम्बन्धित शाखाओं को कानूनी नोटिस व निर्देशों को तैयार व पुनः निरक्षित करने की सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्रिय कार्यालयों स्तर पर मामलों के निपटारों व कानूनी जटिलताओं को सुलझाने में कानूनी सलाह प्रदान की जाती है।

जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 की अनुपालना विनियामक कार्यवाही द्वारा सुनिश्चित की जाती है और यह पारस्परिक कोशिश जिसके परिणाम बहुत प्रोत्साहित करने वाले प्राप्त हुए हैं जिससे समय, मूल्य और प्रयास की बचत हो रही है और दूसरी तरफ इकाइयों के सहयोग से पर्यावरण कानून की अनुपालना सुनिश्चित हुई है। जनहित याचिकाओं, न्यायिक सक्रियता के चलते व पर्यावरण मामलों, साफ हवा व पानी के अधिकारों का जनता की जागरूकता में इजाफा होने से, विधि शाखा के कार्यभार में बढोत्तरी हुई है।

दोषी इकाइयों के विरुद्ध प्रदूषण नियन्त्रण कानून के तहत विनियामक कार्यवाही की जाती है। सैपल फेल होने पर बोर्ड के निर्देशों की पालना न करने पर व उल्लंघन करने वाली दोषी इकाइयों पर सीधे केस के बजाए बिजली कटवाई जाती है। बोर्ड ने पर्यावरण सम्बन्धी झगडों और कानूनी क्रियाओं में नवीन उपगमन अपनाए हैं, जिसमें सुनवाई के अवसर प्रदान करना तथा उद्योगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बारे जागरूक कराना शामिल है। अधिकतर ऐसे मामले निपटाने में अच्छे नतीजे आते हैं।

इसके इलावा विधि शाखा हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण सम्बन्धि केसों में भी सहायता/ उत्तर प्रारूप तैयार करता है। केसों के बारे में साँक्ष्यिकीय विवरण वर्ष 2014.15 तक इस प्रकार से हैं :-

न्यायालयों के नाम	31.3.2014 को लम्बित केस	2014.15 के दौरान नये केस	31.3.2015 तक कुल केस	2014–2015 में निपटे केस	2014–2015 तक लम्बित केसों का कुल जोड़
उच्चतम न्यायालय	29	3	32	1	31
राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण (दिल्ली बेंच)	8	6	14	0	14
राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण (शिमला बेंच)	28	18	46	13	32
उच्च न्यायालय	54	22	76	21	55
जिला न्यायालय	12	1	13	2	11
उच्च न्यायालय में नौकरी सम्बंधित मामले	19	1	20	0	20

अध्याय –7

राज्य बोर्ड का वर्ष 2014 –15 का वित्त एवं लेखा

- ❖ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वित्त एवं लेखा अब पूर्ण रूप से सुचारित हो गया है जिससे वित्त खातों का नकद, बैंक और अल्प/दीर्घ अवधि निक्षेप के शेष की स्थिति का हिसाब–किताब प्रतिदिन लगाया जा सकता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013–2014 के संविधिक लेखे पहले से ही 28/08/2015 को मानसून विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रख दिये गये हैं और वर्ष 2014–2015 के वित्तीय लेखों का संकलन का कार्य प्रगति पर है।
- ❖ अप्रमाणित लेखों के आधार पर राज्य बोर्ड के वर्ष 2014–2015 के खर्चे व प्राप्तियां निम्नलिखित विवरण अनुसार क्रमशः 2413.87 लाख (परियोजनाओं और आयकर व्यय सहित) और 3527.31 लाख रुपये (परियोजनाओं, अग्रिम प्राप्तियों और आयकर वापसी सहित) थे :-

	(रुपये लाखों में)
प्रारम्भिक शेष	9396.21
बोर्ड की प्राप्तियां	3406.22
परियोजनाओं से प्राप्तियां	121.09
आयकर वापसी	0.00
कुल राशि उपलब्ध	12923.52
वर्षान्तर्गत बोर्ड द्वारा व्यय	1183.88
वर्षान्तर्गत परियोजनाओं पर व्यय	99.45
आयकर व्यय	1130.54
शेष	10509.65

उपरोक्त आंकड़े बोर्ड के अप्रमाणित उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निकाले गए हैं। इसलिये यह आंकड़े अस्थाई हैं और संविधिक लेखा परीक्षण पूर्ण करने के पश्चात आंकड़ों में परिवर्तन अपेक्षित है।

अध्याय –8

राज्य बोर्ड के अन्य मुख्य मुद्दे

8.1 पर्यावरण प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण :

प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे किसी भी संभाग की हिस्सेदारी को मजबूत किया जा सकता है। प्रदूषण नियन्त्रण के क्षेत्र में प्रशिक्षण को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। निम्नलिखित बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं/सभाओं/संगोष्ठियों/गोष्ठियों/सम्मेलनों वर्ष 2014-15 में भाग लिया :-

पर्यावरण प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण

क्रमांक	प्रशिक्षण	अवधि	प्रशिक्षण संस्थान	नामांकित करना
1	एयर क्वालिटी मॉडलिंग एण्ड सोरस एपौरशमेंट	तीन दिन	टेरी, दिल्ली	श्री ललित कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो., रामपुर।
2.	एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेटवरक डिजाइन, एयर सैंपलिंग, ऐनालिसिज एण्ड क्वालिटी एशोअरैस	पांच दिन	सी.ई.एन.सी पटना	श्री आर. के. नडडा, पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. बिलासपुर।
3	मैथोडोलोजी ऑफ एसेसमेंट ऑफ इन्डोर एयर क्वालिटी एण्ड सटैण्डरडस	तीन दिन	टेरी दिल्ली	श्री एस. के. धीमान, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र. नि.बो., चम्बा।
4.	मॉनिटरिंग एण्ड ऐनालिसिज ऑफ नॉन-पवाइन्ट सोरस ऑफ पौल्यूशन (एन. पी.एस) ऐगरिकलचर इन ए रिवरीन सिस्टम	तीन दिन	एन.आई.एच. रूडकी	श्री अभय गुप्ता, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, , हि.प्र.रा.प्र. नि.बो. शिमला।
5	मॉनिटरिंग ऑफ पी.एम 2.5 एण्ड अदर नोटिफाइड एयर पौल्यूटैन्टस एस पर रिवाइस्ड एन. ए.ए. क्यू. एस	पांच दिन	नीरी, दिल्ली	श्री अनूप वैद्य, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. सुन्दरनगर। श्री हितेन्दर शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो, शिमला।

6	कलेक्शन, स्टोरेज, हैंडलिंग एण्ड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट	पांच दिन	सी. आई. पी. ई. टी, चेन्नई	श्री एस. के शांडिल, पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा. प्र.नि.बो. शिमला ।
7	वेस्ट मैनेजमेंट (हेजारडस, बायो मैडिकल, म्यूनिसिपल, सौलिड, प्लास्टिक एण्ड ई.वेस्ट)	पांच दिन	आई.आई.डब्ल्यू. एम, भोपाल	श्री हितेन्द्र शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो, शिमला ।
8	बैक्टीरियोलौजिकल टैक्निक्स फॉर वाटर एण्ड वेस्ट वाटर ऐनालिसिज एण्ड क्वालिटी एशोअरेंस	पांच दिन	पी. जी. आई.एम. ई. आर. चण्डीगढ़	श्रीमति रेणु बाला, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, हि.प्र.रा. प्र.नि.बो. सुन्दरनगर ।
9	क्लीन टेक्नोलौजी एण्ड वेस्ट मिनीमाइजेशन फॉर प्रिजरवेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल पौल्युशन	तीन दिन	आई. आई. टी., गुवाहाटी	श्री प्रदीप मौदगिल, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब (काला अम्ब) ।
10	ट्रीटमेंट एण्ड रिमूवल ऑफ टी. डी.एस एण्ड अदर पौल्यूटैन्ट्स टू प्रमोट जीरो लिक्विड डिसचार्ज इन पल्प एण्ड पेपर मिलज	पांच दिन	सी. पी. पी. आर. आई. सहारनपुर	श्री अतुल परमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा. प्र.नि.बो. बद्दी । श्री पवन कुमार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब (काला अम्ब) ।
11	इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी ऑन ह्यूमन हैलथ	तीन दिन	पी. जी. आई.एम.ई.आर. , चण्डीगढ़	श्री वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र. नि.बो. जसूर । श्री अनील कुमार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. परमाणु ।
12	मेजरमेंट ऑफ प्रेजिडेन्ट ऑरगैनिक पौल्यूटैन्ट (पी.ओ.पी) इन एनवायरमेंटल सैपलज	पांच दिन	एन. जी. आर. आई. हैदराबाद	श्री. चमन ठाकुर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब ।

13	ऑक्यूपेशनल हेल्थ एण्ड सेफटी मैनेजमेंट सिस्टम (ओ.एच.एस.ए. एस) 18001 : 2007	तीन दिन	एन.आई.ओ.एच. अहमदाबाद	श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो उना।
14	क्लाइमेट चेंज एण्ड कार्बन मिटिगेशन	पांच दिन	आई. सी. एफ.आर.ई , देहरादून	श्रीमति इंदू बाला गुप्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र.रा. प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब । श्री प्रदीप मौदगिल, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब (काला अम्ब)।
15	क्लाइमेट चेंज वलनरेबीलिटीज एण्ड एडैप्टेशन स्ट्रेटजीज	पांच दिन	आई. सी. एफ.आर.ई , देहरादून	श्री ब्रिज भूषण, पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो. परमाणु। श्री पवन शर्मा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा. प्र.नि.बो. पौण्टा साहिब ।
16	सस्टेनेबल डैवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउण्ड वाटर रिसोरसिज	पांच दिन	मशोबरा (शिमला)	श्री ललित कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र.नि.बो., रामपुर। श्री संजीव रौंगटा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक , हि.प्र.रा.प्र.नि.बो., शिमला।
17	सस्टेनेबल डैवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउण्ड वाटर रिसोरसिज	पांच दिन	डी. आर. डी. ए . चम्बा	श्री प्रवीण धीमान, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र. नि.बो., चम्बा । श्री विनय कुमार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हि.प्र.रा.प्र. नि.बो., जसूर ।

8.2 पर्यावरण के प्रति जागरूकता :

राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण अभियान के बारे में:

पर्यावरण अभियान विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण मानकों के प्रभावी अनुपालन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निम्न तन्त्र उपयोगी हो सकते हैं:

- क) प्रासंगिक कानूनों और नियमों के बारे में, और उनके अधिकारों, हितों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ गैर अनुपालन के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक परिणामों के बारे में, विशेष रूप से लक्षित समूहों के बीच, सार्वजनिक जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा पैदा करना।
- ख) इस तरह के अभियानों में, प्रमुख सार्वजनिक रितधारकों, निर्णय निर्माताओं और राय बनाने वालों को शामिल करके मीडिया के माध्यम से समुदाय में जिम्मेदार कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- ग) समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र व औद्योगिक और व्यापार संघों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन करना।
- घ) स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों का समावेश।

हिमाचल प्रदेश में, उपरोक्त तथ्यों पर, राज्य बोर्ड, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सक्रिय सहयोग के साथ, हर क्षेत्र के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण के मुद्दों एवं गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गए :

(क) विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2014:

राज्य बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस जिसे पर्यावरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमारी जैव-विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 5 जून को हर साल मनाया जाता है। यह पर्यावरण संबंधित मुद्दों और सुधारात्मक कार्यवाही करने के तरीकों की पहचान भी करता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का विषय **“Small Islands and Climate Change”** था।

राज्य बोर्ड ने यह दिवस बड़े उत्साह के साथ राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, स्कूलों और व्यक्तियों के समर्थन से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके मनाया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण की चुनौतियों जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग विषैले पदार्थ शामिल हैं, से निपटने के विचारों को साझा किया गया:—



आयोजन किया गया।

- (iv) क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बच्चों ने रैलियों में भाग लेकर बैनर पर पर्यावरण के नारों को प्रदर्शित किया।
- (v) वाहनों से होने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण और शोर प्रदूषण के विषय पर आम जनता और छात्रों में इशतिहार वितरण किये गए।

- (i) 5 जून, 2014 को विभिन्न विद्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्कूल स्तर के भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- (ii) राज्य के मुख्य नगरों में वाहन पर्यवेक्षण शिविरों का आयोजन किया गया।
- (iii) राज्य बोर्ड द्वारा विद्यालय के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, नारालेखन और बहस जैसी गतिविधियों का



विद्यालयों में चलाया गया पर्यावरण जागरूकता अभियान:



वाहन- प्रदूषण जांच अभियान:



(ख) विज्ञापन और प्रकाशन :

दीपावली 2014 के शुभ अवसर पर छपे विज्ञापन

विभिन्न अखबारों में छपे अन्य विज्ञापन


वर्ष 2014.15 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विज्ञापन और प्रकाशन के माध्यम से जन साधारण अभियान चलाया गया। बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यकलापों से भरे विज्ञापन और लेख सभी स्थानीय, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय महत्व के अखबारों में प्रकाशित किया।

(ग) ध्वनि प्रदूषण का नियन्त्रण :

राज्य भर में दिवाली उत्सव की पूर्व संध्या पर पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

8.3 सात जिलों के जिला पर्यावरण एटलस बनाया गया।

राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित सतह-सम्मत पर्यावरण नियोजन गतिविधि के अन्तर्गत सात जिलों किन्नौर, मंडी, हमीरपुर, चम्बा, ऊना, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति का पर्यावरण एटलस बनाया गया। इस पर्यावरण एटलस में चौबीस (24) से अधिक मानचित्र बनाए गए हैं जो जिला का भौतिक संरचना, सतही जल संसाधन, प्रदूषण का स्रोत तथा गुणवत्ता आदि का आंकलन है। इस रिपोर्ट को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी आंकलन के लिए सौंपा गया है।



(स्रोत: चंबा, मंडी व हमीरपुर के जिला एटलस)
